

इसे वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 अक्टूबर 2019—आश्विन 12, शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) संखिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग १

राज्य शासन के आदेश

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2019

फा. क्र. 2887-80-पी.एस.एल.-इक्कीस-ब(दो)2019.—भारत
के संविधान के अनुच्छेद 165 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों
को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, श्री शंशाक शेखर,
प्रभारी महाधिवक्ता को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से
महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश के पद पर नियुक्त करते हैं।

F. No.2887-80-P.S.L.-XXI-B(II).—In exercise of the
powers conferred by clause (I) of article 165 of the
Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh
is pleased to appoint Shri Shashank Shekhar, Incharge
Advocate General to be Advocate General of Madhya
Pradesh with effect from the date he assumes charge of
his duties.

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2019

फा. क्र. 4763-इक्कीस-ब (एक) 2019.—राज्य शासन, विधि
एवं विधायी कार्य विभाग, मध्यप्रदेश शासन में अतिरिक्त सचिव,
विधि के एक रिक्त पद पर श्री आर. के. गुप्ता, सेवानिवृत्त जिला
एवं सत्र न्यायाधीश को मध्यप्रदेश सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की संविदा
पर नियुक्ति के नियम 2017 में उल्लेखित सामान्य शर्तों के अधीन
दिनांक 2 सितम्बर 2019 को संविदा अवधि समाप्त होने पर पुनः
एक वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान करता है।

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2052-सचिवालय
सामान्य सेवाएं (090)-सचिवालय योजना-(9057)-विधि और
विधायी कार्य विभाग की मद-11 वेतन भत्ते की उपमद-025-संविदा
कर्मचारियों का पारिश्रमिक के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2019

फा. क्र. 4962-इकीस-(ब-दो) 2019.—राज्य शासन, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2951-इकीस (ब-दो) 16, दिनांक 12 अगस्त 2016 की सारणी के सरल क्रमांक-11 (2), 11(4) की प्रविशिष्टियों को संशोधित करते हुए नोटरी के एक पद को जिला-धार की तहसील धरमपुरी से तहसील-सरदारपुर, जिला-धार में स्थानान्तरित किये जाने के पश्चात् तहसील-धरमपुरी एवं तहसील-सरदारपुर, जिला-धार में नोटरी के पदों की वर्तमान संख्या को निम्नानुसार दर्शित करता है:—

| स. क्र. | जिला/तहसील | पूर्व स्वीकृत पद | नवीन आवंटित पद | घटाये गये पदों की संख्या | बढ़ाये गये पदों की संख्या | कुल स्वीकृत पद |
|---------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| 11(2) | धरमपुरी (धार) | 04 | 02 | 01 | 00 | 05 |
| 11(4) | सरदारपुर (धार) | 04 | 02 | 00 | 01 | 07 |

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2019

फा. क्र. 5007-इकीस-(ब-दो) 2019.—राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2951-इकीस (ब-दो) 16, दिनांक 12 अगस्त 2016 तथा दिनांक 14 दिसम्बर 2017 की सारणी के सरल क्रमांक-33 (2), 33(3) की प्रविशिष्टियों को संशोधित करते हुए नोटरी के एक पद को जिला-सतना की तहसील रामपुरबघेलान से तहसील-अमरपाटन, जिला-सतना में स्थानान्तरित किये जाने के पश्चात् तहसील-रामपुरबघेलान एवं तहसील-अमरपाटन, जिला-सतना में नोटरी के पदों की वर्तमान संख्या को निम्नानुसार दर्शित करता है:—

| स. क्र. | जिला/तहसील | पूर्व स्वीकृत पद | नवीन आवंटित पद | घटाये गये पदों की संख्या | बढ़ाये गये पदों की संख्या | कुल स्वीकृत पद |
|---------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| 33(2) | रामपुरबघेलान (सतना) | 04 | 02 | 01 | 00 | 05 |
| 33(3) | अमरपाटन (सतना) | 05 | 02 | 00 | 01 | 08 |

संतोष प्रसाद शुक्ल, अपर सचिव.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2019

क्र. एफ-3-3-2015-इकतालीस-2.—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के समसंख्यक आदेश, दिनांक 23 फरवरी 2019 द्वारा जारी की गई “मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा प्रदाता/इंटरनेटसेवा प्रदाता/अवसरंचना प्रदाय कम्पनियों द्वारा वायर लाइन या वायरलेस आधारित वाइस या डाटा पहुंच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अवसरंचना की स्थापना हेतु दिशा-निर्देश, 2019” की कंडिका 11(ग) को संशोधित करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त कंडिका को निम्नानुसार प्रस्तावित करता है:—

(ग) अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञाप्ति के लिए आवेदन की प्राप्ति के सामान्यतः 30 दिन एवं अधिकतम 45 दिन के भीतर निपटाएगा और इस समय-सीमा में विभिन्न प्राधिकरणों/

अधिकारियों से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में लिया गया समय सम्मिलित होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद कुमार शुक्ला, उपसचिव.

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2019

क्र. एफ-1(सी)-3-2019-ई-चार.—मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) की धारा 21 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन

करता हैः—

संशोधन

उक्त अनुसूची के मद “‘च-अन्य संस्थायें’ में अनुक्रमांक 65 के बाद निम्नलिखित मद जोड़ी जाये,

“66—मध्यप्रदेश तीर्थ-स्थान एवं मेला प्राधिकरण, भोपाल”

इस निकाय के अंकेक्षण शुल्क की दरें, समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नियत किए गए अनुसार होगी।

No. F. 1(C) -3-2019-E-IV.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (3) of Section 21 of the Madhya Pradesh Sthaniya Nidhi Sampariksha Adhiniyam, 1973 (43 of 1973) the State Government,

hereby, makes the following further amendment in the schedule of the said Adhiniyam, namely:—

AMENDMENT

In the said schedule, after serial number 65 of the item “F other Local Bodies,” the following serial number and entries relating thereto shall be added namely:—

“66-Madhya Pradesh Tirth Sthan evam Mela Pradhikaran Bhopal”

Rate of the Audit fees of these bodies would be according to that fixed by the Government from time to time.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार जैन, उपसचिव।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जून 2019

सूचना

क्र. एफ-3-141-2018-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 2681-04-उपां-टीसी-सतना-2016, दिनांक 16 मई 2018 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित सतना विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण व्यौरे एवं शर्त निम्नानुसार हैं :—

अनुसूची

| क्रमांक | ग्राम | खसरा क्रमांक | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग | उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग |
|----------------------|--|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | कृपालपुर तहसील रघुराजनगर जिला-सतना। | 1338/1 | 6.863 में से 2.803 | कृषि एवं मार्ग | आवासीय एवं मार्ग (अटल आश्रय योजना) |
| योग . . <u>2.803</u> | | | | | |

शर्त.—

- यह उपांतरण केवल बायपास मार्ग के उत्तरी दिशा में स्थित भूमि पर ही स्वीकार्य होगा।
- उपरोक्त उपांतरण सतना विकास योजना, 2021 का एकीकृत भाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव।

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2019

क्र. 1406-1482-2019-ए-सोलह.—मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, अधिसूचना क्रमांक एफ-6-5-07-ए-सोलह, दिनांक 14 अगस्त 2017 को प्रकाशित हुई है, को निरस्त करती है तथा यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम के समस्त उपबंध इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन आने वाले उद्योगों के उपक्रमों के संबंध में प्रभावशील होंगे, जहां तत्पश्चात् किसी भी दिवस पर कर्मचारियों की संख्या एक सौ से अधिक थी अथवा है।

No. 1406-1482-2019-XVI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Madhya Pradesh Industrial Relations Act, 1960 (No. 27 of 1960), the State Government, hereby, rescinds the Notification No. F-6-5-07-A-XVI, dated 14th August 2017 published in the Madhya Pradesh Gazette dated 17th August, 2017 and directs that all the provisions of the said Act shall come into force on the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette in respect of undertaking in the industries covered under the said Act wherein the number of employee on any day thereafter was or is more than one hundred.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना मेहरा अटूट, अवर सचिव।

कार्यालय, वाणिज्यिक कर आयुक्त, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 4 सितम्बर 2019

अधिसूचना क्रमांक 193-2014-15-30-पन्द्रह () 489—मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 167 के अध्यधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-02-2017-1-पांच (48) दिनांक 20 जून 2019 के अनुक्रम में नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लेखित अधिकारी एवं कॉलम (3) में उल्लेखित पदनाम के अधिकारी को कॉलम (4) में उल्लेखित क्षेत्र से संबंधित इस अधिनियम के अन्तर्गत लम्बित एवं उद्भूत होने वाले अपील प्रकरण सुनने हेतु अधिकृत किया जाता है:—

सारणी

| अ. क्र. | अधिकारी का नाम | अधिकारी का पदनाम | अपील सुनने हेतु अधिकारिता क्षेत्र |
|---------|------------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | श्री आनंद भार्गव | राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपीलीय प्राधिकारी इन्दौर संभाग-1) | इन्दौर संभाग-1, रतलाम संभाग एवं खण्डवा संभाग के साथ इन्दौर संभाग-2 एवं उज्जैन संभाग (एंटी इंवेजन ब्यूरो इन्दौर-ए एवं इन्दौर-बी से संबंधित अपील प्रकरण सहित)। |

डॉ. पी. आहूजा, आयुक्त।

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर

(574, साउथ सिविल लाइन्स, पचपेड़ी)

जबलपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2019

क्र. फा. नं. 07-आरटीआई-राविसेप्रा-2019.—माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश दिनांक 21 अगस्त 2019 के द्वारा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश क्रमांक फा. नं. 22-स्था.-134-06-जबलपुर, दिनांक 2 मई 2006 में आंशिक संशोधन किया जाकर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1), 5 (2) एवं 19(1) के अधीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में निर्देशानुसार लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी पदाविहित किये जाते हैं:—

1. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पदस्थ जिला विधिक सहायता अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी एवं वहां पदस्थ पूर्णकालिक सचिव को प्रथम अपीलीय अधिकारी नामांकित किया जाता है।
2. जिन जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में जिला विधिक सहायता अधिकारी का पद रिक्त है, उन जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में लोक सूचना अधिकारी के पदीय कर्तव्यों के दायित्वों का वहां करने हेतु वहां पदस्थ वरिष्ठतम लिपिक को लोक सूचना अधिकारी नामांकित करते हुए पदस्थ पूर्णकालिक सचिव को प्रथम अपीलीय अधिकारी नामांकित किया जाता है।
3. अन्य आदेश यथावत् रहेगा।

गिरिबाला सिंह, सदस्य सचिव।

मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग प्लाट नं. 76, अरेरा हिल्स, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2019

क्रमांक 301-001-2014.—मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के नियम 3(7) में वैष्ठित शक्तियों के अधीन मुख्य जिला फोरमों के अध्यक्षों को वर्तमान प्रभार के अतिरिक्त अन्य जिला उपभोक्ता फोरमों के अध्यक्षों के रूप में नियुक्त किये जाने संबंधी इस कार्यालय द्वारा जारी पूर्व आदेश दिनांक 10 मई 2019 में परिवर्तन करते हुए निर्देशानुसार निम्न सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट जिला फोरमों के अध्यक्षों को उनके वर्तमान प्रभार के अतिरिक्त दिनांक 1 अक्टूबर 2019 से उक्त सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट जिला फोरमों का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाता है, यह व्यवस्था आगामी आदेश तक लागू रहेगी:—

| क्र. (1) | मुख्य जिला फोरम (2) | संबद्ध जिला फोरम (3) |
|-------------|------------------------|-------------------------|
| 1 | सागर | दमोह एवं विदिशा |
| 2 | भोपाल क्रमांक-1 | सीहोर |
| 3 | भोपाल क्रमांक-2 | रायसेन |
| 4 | | |

उपरोक्त परिवर्तन के साथ दिनांक 1 अक्टूबर 2019 से मध्यप्रदेश के सभी जिला उपभोक्ता फोरम की स्थिति इस प्रकार होगी:—

| क्र. | मुख्य जिला फोरम (2) | संबद्ध जिला फोरम (3) |
|------|------------------------|-------------------------|
| 1 | भोपाल क्रमांक-1 | सीहोर |
| 2 | भोपाल क्रमांक-2 | रायसेन |
| 3 | इन्दौर क्रमांक-1 | देवास |
| 4 | इन्दौर क्रमांक-2 | — |
| 5 | जबलपुर क्रमांक-1 | मण्डला एवं डिण्डौरी |
| 6 | जबलपुर क्रमांक-2 | नरसिंहपुर |
| 7 | ग्वालियर | भिण्ड एवं मुरैना |
| 8 | रीवा | सीधी, शहडोल, अनूपपुर |
| 9 | उज्जैन | शाजापुर |
| 10 | सागर | दमोह एवं विदिशा |
| 11 | रतलाम | झाबुआ |
| 12 | मंदसौर | नीमच |
| 13 | छिन्दवाड़ा | सिवनी एवं बालाघाट |
| 14 | गुना | राजगढ़ एवं अशोकनगर |
| 15 | धार | बड़वानी एवं मण्डलेश्वर |
| 16 | सतना | कटनी एवं उमरिया |
| 17 | खण्डवा | बुरहानपुर एवं हरदा |
| 18 | शिवपुरी | श्योपुर एवं दतिया |
| 19 | छतरपुर | पन्ना एवं टीकमगढ़ |
| 20 | होशंगाबाद | बैतूल |

माननीय अध्यक्ष महोदय राज्य आयोग के आदेशानुसार,
राजीव म. आपटे, रजिस्ट्रार,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 25 सितम्बर 2019

क्र. 520-भू-अर्जन-2019.—रेलवे परियोजना रीवा-सीधी-सिंगरौली रेल लाइन निर्माण हेतु प्रभावित ग्राम-नौदिया, तहसील गोपद बनास, जिला सीधी के निजी भूमि रकबा 9.351 हे. के अधिग्रहण हेतु भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत दिनांक 2 जून 2018 को अधिसूचना जारी की जाकर राजपत्र में दिनांक 15 जून 2018 को प्रकाशित कराया गया तथा भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 की अधिसूचना दो स्थानीय समाचार-पत्रों में क्रमशः दिनांक 5 जून 2018 एवं दिनांक 7 जून 2018 को प्रकाशित कराया गया था।

उक्त अधिसूचनाओं के प्रकाशन उपरान्त विधान सभा निवाचन 2018 एवं लोकसभा निवाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील रहने तथा संबंधित विभागों से मूल्यांकन की कार्यवाही में विलम्ब होने से भू-अर्जन की कार्यवाही धारा 19 के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की नियत समय-सीमा अवधि के अन्दर अवार्ड पारित नहीं हो सका। चूंकि रीवा-सीधी-सिंगरौली रेल लाइन परियोजना आम जनता के

व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य रेल लाइन निर्माण का भाग है, यह अर्जन की कार्यवाही रैखिक दिशा में व लोक प्रयोजन के लिए हो रही है, जिसके कारण भू-अर्जन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक व न्यायोचित प्रतीत होता है।

मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(1)2014-सात-शा 2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 3 खण्ड (ड) के परन्तुक एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए ग्राम नौदिया, तहसील गोपद बनास, जिला सीधी के कुल रकबा 9.351 हे. के धारा 19 के उपरान्त कार्यवाही की अवधि आगामी एक वर्ष के लिये बढ़ाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
(भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013)**

सीहोर, दिनांक 26 सितम्बर 2019

शुद्धि-पत्र

प्रकरण क्रमांक 20-अ-82-2017-18.—पार्वती परियोजना अन्तर्गत ढूब से प्रभावित भूमि हेतु भू-अर्जन के सार्वजनिक प्रयोजन के दृष्टिगत भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 8 मार्च 2019 को कराया गया था। उक्त अधिसूचित अधिसूचना भूमि का स्थल सत्यापन किये जाने पर सर्वे नं. एवं क्षेत्रफल में विसंगतियां पाई गई, जिनका नियमानुसार दुरस्तीकरण कराया गया। उक्त दुरस्तीकरण के पश्चात् पूर्वोक्त प्रकाशित अधिसूचना में निमानुसार संशोधन किया जाता है।

| स. क्र. | पूर्वोक्त अधिसूचना धारा 19 में अंकित (संशोधन/विलोपन योग्य) | | वर्तमान संशोधित/अद्यतीकृत | |
|---------|---|-----------------|--|-----------------|
| | सर्वे नम्बर | क्षेत्रफल (हे.) | सर्वे नम्बर | क्षेत्रफल (हे.) |
| 1 | — | — | 489/82/1 | 1.263 |
| 2 | — | — | 489/82/3 | 0.607 |
| 3 | — | — | 83/3 | 0.506 |
| 4 | — | — | 83/4 | 2.023 |
| 5 | 94/2 | 1.610 | 94/2 | 0.651 |
| 6 | 467/106 | 3.763 | 467/106/1 | 2.954 |
| | | | 467/106/3 | 0.809 |
| 7 | 84/1/2 | 1.640 | भू-अर्जन से प्रत्याहत (धारा 93 के तहत) | |
| 8 | 454/4/4 | 0.283 | भू-अर्जन से प्रत्याहत (धारा 93 के तहत) | |
| 9 | 83/1/1/ख | 0.751 | भू-अर्जन से प्रत्याहत (धारा 93 के तहत) | |

शेष अधिसूचना यथावत रहेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिप्लौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. भू-अर्जन-01(अ-82)2018-19-38

डिप्लौरी, दिनांक 17 जुलाई 2019

चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सर्वेजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिप्लौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाधात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में सामाजिक समाधात अध्ययन रिपोर्ट से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

अनुसूची धारा - 11

| जिला | तहसील/ तालुक | ग्राम का नाम | सर्वे नंबर | भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे.में) | निर्माण कार्य एजेंसी का नाम | सर्वेजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|----------|-----------------|-----------------|------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| डिप्लौरी | बजाग | खरगहना | 1015/1 | 0.270 | कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिप्लौरी | खरगहना जलाशय योजना मुख्य नहर कार्य हेतु |
| | | | 856 | 0.160 | | |

2. भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिप्लौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-15 (अ-82) 2019-20-56.—

डिण्डौरी, दिनांक 16 सितम्बर 2019

(अंतर्गत आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका -11 (1))

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शारान राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित मोहरापहरुआ जलाशय के ढूब क्षेत्र रो प्रभावित ग्राम देवगांव प.ह.नं. 20 रा.नि.मं. रैयपुरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारकों को सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

| क्र. | ग्राम का नाम | कृषक का नाम | खसरा नम्बर | कुल रकवा हे. में | वर्तमान में अर्जित रकवा हे. में | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|------|--------------|----------------|------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | देवगांव | महा सिंह/हरलाल | 44 | 0.57 | 0.46 | मोहरापहरुआ जलाशय के ढूब क्षेत्र |

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित व उस पर स्थित मकान/कूप / वृक्ष आदि बावत/दावा /आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो मय अमेलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत सम्यावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियां मान्य नहीं की जावेगी।

क्र. भू-अर्जन-26 (अ-82) 2019-20-57.—

डिण्डौरी, दिनांक 16 सितम्बर 2019

चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाधात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूति अर्जन पर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाधात अध्ययन रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम 2013 की अनुसूची के खाने (6) में अल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संदर्भ में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शरियतों को उपयोग करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

अनुसूची की धारा - 11

| जिला | तहसील/तालुका | नगर/ग्राम | सेर्व नंबर | भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा है में | निर्माण ऐजेन्सी का नाम | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|----------|--------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| डिण्डौरी | शहपुरा | देवरी कला दांयी तट सबमाइनर 02 | 624 | 0.020 | कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग | सारसडोली जलाशय योजना का नहर कार्य |
| | | | 623 | 0.050 | | |
| | | | 592 | 0.020 | | |
| | | | 525 | 0.020 | | |
| | | | 594 | 0.030 | | |
| | | | 593/2 | 0.020 | | |
| | | | 598 | 0.040 | | |
| | | | 600/2 | 0.010 | | |
| | | | 601/1 | 0.030 | | |
| | | | 601/2 | 0.040 | | |
| | | | 511 | 0.030 | | |
| | | | 510 | 0.020 | | |
| | | | 281 | 0.010 | | |
| | | | 503 | 0.010 | | |
| | | | 513 | 0.010 | | |
| | | | 524/1 | 0.020 | | |
| | | | 528 | 0.010 | | |
| | | | 499 | 0.010 | | |
| | | | 498 | 0.040 | | |
| | | | 283 | 0.020 | | |
| | | | 285 | 0.010 | | |
| | | | 286/2 | 0.010 | | |
| | | योग | | 0.480 | | |
| | | शासकीय भूमि | | | | |
| | | | 605/1 | 0.010 | | |
| | | | 517 | 0.010 | | |
| | | | 519 | 0.020 | | |
| | | योग | | 0.040 | | |
| | | सकल योग | | 0.520 | | |

2 भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय, कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-02 (अ-82) 2019-20-58.—

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्य नीति अनुसार डिण्डौरी विकास खण्ड में स्थित मुड़की मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य से प्रभावित ग्राम कुडदर रैयत प.ह.नं. 21 रा.नि.मं. शाहपुर विकासखण्ड डिण्डौरी जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारकों की सहमति से भूमि क्य करने का विचार किया जा रहा है।

| संक्र. | ग्राम का नाम | कृषक का नाम | खसरा नंबर | कुल रकवा | वर्तमान में अर्जित रकवा है, में | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|--------|-----------------------------------|--|------------------------|----------------------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | कुडदर प.ह.नं. 21 रा.नि.मं. शाहपुर | कैलाश, राजीव कुमार पिता मुगरु सिंह, कृष्ण लाल, सुदामा बाई, श्यामा बार्ठ सुनती बाई, पुष्पा बाई, पिता मंगरु कमली पति मंगरु | 112/1 112/2 | 0.15 0.06 | 0.07 0.06 | मुड़की मध्यम परियोजना शीर्ष कार्य के अंतर्गत ग्राम गनवाही माल के पूरक प्रस्ताव |
| 2 | | कपूर पिता मातादीन | 137/2 81/3 | 0.39 0.27 | 0.29 0.13 | |
| 3 | | रमेश पिता मातादीन | 137/3 81/4 | 0.20 0.27 | 0.02 0.27 | |
| 4 | | सहवा पिता मातादीन | 178/1 133/1 | 0.71 0.86 | 0.03 0.86 | |
| 5 | | ठोली पिता मातादीन | 109/1 137/1 81/2 | 0.21 0.39 0.27 | 0.16 0.08 0.27 | |
| 6 | | नन्हे सिंह पिता हुड्ढू | 175/5 | 0.59 | 0.59 | |
| 7 | | कपूर, अंविका, सोनसिंह, धनीराम पिता अनूप | 80 | 0.60 | 0.60 | |
| 8 | | कमली बाई पिता मातादीन | 81/1 | 0.27 | 0.27 | |
| 9 | | चित्रा पति चन्द्र सिंह | 66/2 | 1.13 | 0.06 | |
| 10 | | गोटिया पिता जियत लाल | 92 | 1.19 | 0.17 | |
| 11 | | भदिया बेवा फूलसिंह | 164 | 0.70 | 0.14 | |
| 12 | | सुखवती पति मुकेश | 133/3 | 0.40 | 0.12 | |
| 13 | | नरबदिया पति पानीराम | 135/3 176/3 | 0.40 0.10 | 0.10 0.10 | |
| 14 | | बुझी बाई पुत्री रनमत | 82 163 | 1.61 1.34 | 1.26 0.01 | |
| 15 | | भूपत पिता नारायण, इन्द्रा, धर्मपति नारायण, गुलाबवती, सरस्वती पुत्री नारायण अमर पिता नारायण | 175/4 | 0.59 | 0.59 | |
| 16 | | बजारी पिता पंडा | 127 167 | 0.22 0.16 | 0.22 0.16 | |
| 17 | | गंगी बाई, बिसमत बाई पुत्री माहू | 128 | 0.01 | 0.01 | |

| | | | | |
|----|--|----------------|---------------|---------------|
| 18 | द्वोपती बाई ध.प.स्व.कोप सिंह, लल्ला, राजेन्द्र, गयारसी बाई, गंगोत्री अशोक बाई पिता कोपसिंह | 110/1 133/2 | 0.40 1.13 | 0.12 0.08 |
| 19 | हरि सिंह पिता मरतू | 110/2 | 0.33 | 0.23 |
| 20 | प्रेमलाल पिता बुद्ध | 119 | 0.37 | 0.37 |
| 21 | शिवलाल पिता भोला | 176/2 | 2.13 | 0.14 |
| 22 | हरि सिंह पिता हुड्डू | 175/2 | 0.60 | 0.54 |
| 23 | धनराज पिता गुलाब | 125/2 | 0.38 | 0.25 |
| 24 | किशन पिता गुलाब | 125/1 | 0.38 | 0.14 |
| 25 | सम्हर पिता भोला | 176/1 | 2.13 | 1.58 |
| | योग :- | | 20.937 | 10.090 |

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित बावत्/दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें, नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों को मान्य नहीं की जावेगी।

क्र. भू-अर्जन-1 (अ-82) 2019-20-59.—

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर कार्य से प्रभावित ग्राम शहपुरा प.ह.नं. 44 रा.नि.मं. शहपुरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

| क्रं | ग्राम का नाम | कृषक का नाम | खसरा नम्बर | कुल रकवा है में | वर्तमान में अर्जित रकवा है में | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|------|------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | शहपुरा प.ह.नं. 44 रा. नि.मं. | शिवदास, रामदास पिता ढोली | 682/1 682/2 | 0.995 0.008 | 0.028 | बिलगांव जलाशय नहर कार्य |
| 2 | | मोहम्मद जहीद पिता जान मोहम्मद | 436/12 136/15 | 3.066 | 0.09 | |
| 3 | शहपुरा | रामकली पिता रामकुमार | 68/7 68/9 | 0.441 0.218 | 0.04 | |
| 4 | | चेतन पिता मिहीलाल | 432/3/ग | 0.202 | 0.04 | |
| | | कुल | | 4.93 | 0.198 | |

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित व उस पर स्थित मकान/कूप / वृक्ष आदि बावत्/दावा /आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियां मान्य नहीं की जावेगी।

क्र. भू-अर्जन-03 (अ-82) 2019-20-60.—

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्य नीति अनुसार डिण्डौरी विकास खण्ड में स्थित मुड़की मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य से प्रभावित ग्राम गनवाही माल प.ह.नं. 21 रा.नि.मं. शाहपुर विकासखण्ड डिण्डौरी जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारकों की सहमति से भूमि क्य करने का विचार किया जा रहा है।

| स.क्र. | ग्राम का नाम | कृषक का नाम | खसरा नंबर | कुल रकवा | वर्तमान में अजित रकवा है. में | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|--------|---|------------------------|-----------|--------------|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | गनवाही माल | चमरा/शेखलाल | 32/2 | 0.24 | 0.06 | मुड़की मध्यम परियोजना शीर्ष कार्य के अंतर्गत ग्राम गनवाही माल के पूरक प्रस्ताव |
| 2 | प.ह.नं. 21 रा. नि.मं. शाहपुर | सकुन्तला/ कामता प्रसाद | 355 | 0.32 | 0.32 | |
| 3 | | सम्पत्/ दल्लू | 79/1 | 0.66 | 0.35 | |
| | | | 269 | 0.70 | 0.20 | |
| | | | 288 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | 289 | 0.20 | 0.05 | |
| 4 | सम्मल बाई/सम्पत लाल | | 270 | 0.12 | 0.03 | |
| 5 | | कामता प्रसाद/सम्पत लाल | 357 | 0.12 | 0.12 | |
| | | | 279 | 0.74 | 0.20 | |
| 6 | सम्हर लाल/अमृत | | 94/5 | 2.16 | 0.22 | |
| 7 | सदन सिंह/देवसिंह | | 101/1 | 4.00 | 0.02 | |
| 8 | कुवर ढोली, अंतु लाल गुलाबी/हीरा लाल | | 109 | 0.66 | 0.02 | |
| 9 | शंकर बाई, रामकली, धनिया, ओमकार, कन्हैया पति मायाराम | | 83 | 0.84 | 0.26 | |
| 10 | लमिया बाई, जीवन लाल पति मिन्डा | | 86 | 1.92 | 0.62 | |
| 11 | दुवाल सिंह/धमर सिंह | | 78/2 | 0.90 | 0.60 | |
| 12 | हरिदीन, रामप्रसाद शंकर पिता कतकू | | 94/3 | 0.20 | 0.20 | |
| 13 | नारायण प्रसाद पिता प्रीतम लाल | | 1 | 0.65 | 0.32 | |
| 14 | संतोष ईदल पिता मन्ना, मूलचंद कली बाई | | 77 | 0.39 | 0.39 | |
| | | | 99 | 0.38 | 0.38 | |
| 15 | भेया लाल/सम्पत | | 299 | 0.20 | 0.08 | |
| | | योग :- | | <u>15.47</u> | <u>4.51</u> | |

उपरोक्तानुसार क्य की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित बावत/दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो मय अभिलेख के सूचना प्रक्षेपण के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें, नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों को मान्य नहीं की जावेगी।

क्र. भू-अर्जन-05 (अ-82) 2019-20-61.—

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित मुड़की मध्यम परियोजना के द्वृष्ट क्षेत्र से प्रगावित ग्राम जाटा माल प.ह.नं. 20 रा.नि.मं. शाहपर विकासखण्ड डिण्डौरी जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

| ग्राम का नाम | क्र. | खातेदार का नाम | खसरा नम्बर | कुल रकवा है. में | क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|--------------|------|--|------------|------------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| जाटा माल | 1 | कोप सिंह पिता भरोसा | 92 | 0.600 | 0.020 | मुड़की मध्यम परियोजना के अन्तर्गत ग्राम जाटा माल से जाटा ऐ तक डावर्सन रोड टार रोड निर्माण एवं निर्माण कार्य हेतु |
| | 2 | दुखनी पिता खत्तू मनबोधी पिता सेमलाल | 81 | 0.640 | 0.020 | |
| | 3 | भूरी बाई घ.प. बैगा लाल, फूलवती, मुलिया बाई बगोरा | 74 | 0.200 | 0.100 | |
| | | | 50 | 0.280 | 0.120 | |
| | | | 41 | 0.260 | 0.080 | |
| | 4 | रामबाई पति कंधई | 72 | 0.160 | 0.020 | |
| | | | 67 | 1.280 | 0.160 | |
| | 5 | घूमन सिंह इंदला, लीला बाई पुत्र इंदला धनमत, घ.प. इंदला | 73 | 0.190 | 0.020 | |
| | | | 40 | 0.400 | 0.040 | |
| | 6 | गरमी घ.प.स्व. सुन्दरलाल | 77 | 0.660 | 0.020 | |
| | 7 | जररुर पिता बुद्ध | 66 | 0.540 | 0.090 | |
| | 8 | रुप सिंह पिता पीतम सिंह | 64/१ | 1.240 | 0.160 | |
| | 9 | शोभित पिता बुद्ध | 63 | 0.370 | 0.150 | |
| | 10 | शान्ति बाई पुत्री समलू | 51 | 0.500 | 0.030 | |
| | 11 | सुनीता बाई पिता देवी सिंह | 49 | 0.860 | 0.050 | |
| | 12 | भरोसा पिता पन्कू | 42 | 1.380 | 0.060 | |
| | 13 | सोमती पुत्री निरपत | 31 | 2.010 | 0.160 | |
| | | Total | | 11.570 | 1.300 | |

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित व उस पर स्थित मकान/कूप / वृक्ष आदि बावत/दावा /आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो मध्य अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियां मान्य नहीं की जावेगी।

क्र. भू-अर्जन-09 (अ-82) 2019-20-62.—

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित विलगांव मध्यम परियोजना के नहर क्षेत्र से प्रभावित ग्राम ठांडा ऐप.हन. 35 राजिनं. शहपुरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिप्पोरी के कृषकों की नियी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारकों की सहमति से भूमि य करने का विचार किया जा रहा है।

| पात्र का नाम | क्र. | खातेदार का नाम | खसरा नम्बर | कुल रकवा है. में | क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|--------------|------|--|------------|------------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| दोंडा | 1 | सुहदा घ.प. चन्द्रभान, तुलसी बाई घ.प कन्छेदी, राजकुमार पिता कन्छेदी, मुन्ना, मुनसुख, सुखपाल, चन्द्रभान, लाल. | 185 | 0.510 | 0.050 | विलगांव मध्यम परियोजना के अन्तर्गत ग्राम ठांडा ऐप.हन. तक पहुंच मार्ग निर्माण कार्य |
| | 2 | फुलली बाई घ.प. बुद्ध, शिवप्रसाद, मनीराम, माखन पिता शिवप्रसाद, किसन लाल, कोदू लाल, नकिया बाई, चिरैया, मीरा बाई | 186 | 0.510 | 0.050 | |
| | 3 | छोटे लाल पिता सम्मत | 174 | 1.940 | 0.300 | |
| | 4 | प्रेम लाल पिता सम्मत | 175 | 2.010 | 0.300 | |
| | 5 | दीर्घ पिता सुखेया, कोता घ.प. सुखेया | 5/2 | 2.060 | 0.050 | |
| | 6 | वीरसाह पिता सुखेया | 5/1 | 1.150 | 0.180 | |
| | 7 | प्रेम सिंह पिता खुटवा | 4 | 1.260 | 0.220 | |
| | 8 | तुलशी पिता जमना | 3 | 0.960 | 0.240 | |
| | 9 | दर्गेश पिता बुद्ध, मान सिंह, दसिया, विसमत पिता बुद्ध, लमिया बेवा बुद्ध | 2/4 | 0.640 | 0.100 | |
| | 10 | राम सिंह पिता शैल | 12 | 0.800 | 0.080 | |
| | 11 | बसीरी लाल पिता सहदेव | 15/1 | 0.910 | 0.150 | |
| | 12 | पुचम पिता सहदेव | 15/2 | 0.900 | 0.150 | |
| | 13 | रामकुमार नथू, लोक सिंह, कुवरिया, फलबाई घ.प. मंगलू | 16 | 1.930 | 0.350 | |
| | 14 | रुपलाल पिता धन्नू | 44/1 | 0.570 | 0.060 | |
| | 15 | हरिलाल पिता धन्नू | 44/2 | 0.570 | 0.060 | |
| | 16 | पुनोब, दूजा, तीजो बाई तुलसी बाई पिता चैतु | 47 | 2.030 | 0.200 | |
| | 17 | पुनिया पिता गिरवर, चैतु, चमल पिता मंगल, राजकुमार, रामभिलन, चम्न, ओमबाई, रामपारी पिता मंगल, रवि नन्नी, रुचि सुन्दरिया पिता तोता, कमला पिता तोता, लल पिता भैया लाल, सगनी पिता भेयालाल | 48 | 2.270 | 0.160 | |
| | 18 | भान सिंह पिता ननसी | 80 | 1.180 | 0.250 | |
| | 19 | झोमक लाल पिता लक्षण, मुन्नी बाई, संमबाई पिता लक्षण, एहतो बाई घ.प. लक्षण | 91 | 0.830 | 0.140 | |
| | 20 | भूगत सिंह पिता राम सिंह | 92/2 | 0.200 | 0.020 | |
| | 21 | सुकरती बाई घु.प. रामदीन, जो सिंह, झानक लाल पिता रामदीन, दोपसी बाई पुत्री समदीन | 77/1 | 0.320 | 0.050 | |
| | 22 | दादू पिता अमोल, मंगली बेवा अमोल, गोलसाय, मानसाय पिता मातादीन, बुद्धसेन पिता अमल, रोहन पिता भाला, कुवर, लम्मू पिता भगला, ऐतु पिता भगला रोहनिया पुत्री भगला भगिया बेवा भगला, गुमानी पिता टिरकू | 93 | 1.160 | 0.050 | |
| | 23 | सेमलाल पिता टटी | 66 | 0.320 | 0.100 | |
| | 24 | फूलसिंह पिता टटी, किरी बेवा टटी | 67 | 0.320 | 0.080 | |
| | 25 | राजकुमार पिता दादू लाल | 68 | 0.330 | 0.020 | |
| | | Total | | 25.680 | 3.410 | |

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित व उस पर स्थित मकान/कूप / वृक्ष आदि बावत/दावा /आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियां मान्य नहीं की जावेगी।

क्र. भू-अर्जन-14 (अ-82) 2019-20-63.—

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपरी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित ग्राम घुण्डीसरई शीर्ष कार्य अन्तर्गत घुण्डीसरई जलाशय के नहर क्षेत्र से प्रभावित ग्राम घुण्डीसरई प.ह.नं. 64 रा.नि.मं. शहपुरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

| क्र. | ग्राम का नाम | कृषक का नाम | खसरा नम्बर | कुल रकवा हे. में | वर्तमान में अर्जित रकवा हे. में | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|------|--------------|---------------------|------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | घुण्डीसरई | शमशेर सिंह/अजब सिंह | 188 / 1 | 1.30 | 0.18 | घुण्डीसरई जलाशय के नहर कार्य हेत |
| 2 | | रतन सिंह/सुखसेन | 188 / 2 | 0.40 | 0.05 | |
| 3 | | मोले सिंह/मर्दन | 195 | 0.16 | 0.04 | |
| | | कुल | | 1.86 | 0.27 | |

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित व उस पर स्थित मकान/कूप / वृक्ष आदि बावत/दावा /आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियां मान्य नहीं की जावेगी।

क्र. भू-अर्जन-06 (अ-82) 2019-20-64

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपरी सहमति से भूमि क्रय अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित मुड़की मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम जाटा रैयत प.ह.नं. 20 रा.नि.मं. शाहपर विकासखण्ड डिण्डौरी जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

| ग्राम का नाम | क्र. | खातेदार का नाम | खसरा नम्बर | कुल रकवा हे. में | क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|--------------|------|----------------------------|------------|------------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| जाटा रैयत | 1 ✓ | शान्ति बाई पिता गिरवर | 30 | 0.610 | 0.070 | मुड़की मध्यम परियोजना के अन्तर्गत ग्राम जाटा माल से जाटा रै तक डाक्सर्वन रोड टार रोड निर्माण एवं पुलिया निर्माण कार्य हेतु |
| | 2 ✓ | नरबदिया पिता गनपत | 29 | 0.780 | 0.060 | |
| | 3 ✓ | कतकू पिता माहू | 28 | 0.400 | 0.020 | |
| | 4 ✓ | जरहू पिता पुसवा | 27 | 0.550 | 0.020 | |
| | 5 ✓ | दुखनी रतु | 31 | 3.360 | 0.200 | |
| | | | 37 | 1.210 | 0.190 | |
| | 6 ✓ | श्री सुषमा बाई पिता गेदलाल | 35 | 0.340 | 0.040 | |
| | | Total | | 7.250 | 0.600 | |

प्रस्तुत करना हो, तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें।

क्र. भू-अर्जन-13 (अ-82) 2019-20-65.—

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बड़झर जलाशय के मुख्य नहर कार्य से प्रभावित ग्राम बड़झर माल प.ह.नं. 59 रा.नि.मं. बिछिया विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

| क्र. | ग्राम का नाम | कृषक का नाम | खसरा नाम्बर | कुल रकवा है में | वर्तमान में अर्जित रकवा है में | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|------|--------------|-------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | बड़झर माल | जितेन्द्र सिंह/राजेन्द्र सिंह | 01 | 1.11 | 0.07 | बड़झर जलाशय के मुख्य नहर कार्य |

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित व उस पर स्थित मकान/कूप / वृक्ष आदि बावत/दावा /आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियां मान्य नहीं की जावेगी।

क्र. भू-अर्जन-08 (अ-82) 2019-20-66.—

दृढ़कि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाधान अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाधात अध्ययन रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त गूगि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है।

अनुसूची धारा - 11

| जिला | तहसील/ तालुक | नगर/ ग्राम | सर्वे नंबर | भू - अर्जन हेतु प्रस्तावित रक्कवा (हेक्टेयर में) | निमाण कार्य एजेंसी का नाम | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|----------|--------------|--------------------------------|------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| डिण्डोरी | शहपुरा | सरवाही भाल बायी तट मुख्य माइनर | 766 | 0.01 | कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डोरी | सारसङ्गोली जलाशय परियोजना का नहर कार्य |
| | | | 765 | 0.14 | | |
| | | | 763 | 0.06 | | |
| | | | 759 | 0.10 | | |
| | | | 385/1 | 0.22 | | |
| | | | 385/2 | 0.02 | | |
| | | | 374 | 0.05 | | |
| | | | 372 | 0.08 | | |
| | | | 129 | 0.17 | | |
| | | | 369/1 | 0.16 | | |
| | | | 367/1 | 0.03 | | |
| | | | 365 | 0.12 | | |
| | | | 363 | 0.26 | | |
| | | | 362/1 | 0.02 | | |
| | | | 362/2 | 0.01 | | |
| | | | 357 | 0.02 | | |
| | | | 359 | 0.07 | | |
| | | | 360 | 0.11 | | |
| | | | 330 | 0.13 | | |
| | | | 331 | 0.01 | | |
| | | | 322 | 0.13 | | |
| | | | 333/1 | 0.04 | | |
| | | | 333/2 | 0.02 | | |
| | | | 336 | 0.08 | | |
| | | | 310/1 | 0.04 | | |
| | | | 310/2 | 0.02 | | |
| | | | 311 | 0.04 | | |
| | | | 307/1 | 0.02 | | |
| | | | 237/1 | 0.04 | | |
| | | | 237/2 | 0.08 | | |
| | | | 238/1 | 0.02 | | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|-------|------|--|--|
| | | | 238/2 | 0.10 | | |
| | | | 240 | 0.03 | | |
| | | | 239 | 0.01 | | |
| | | | 252/1 | 0.05 | | |
| | | | 252/2 | 0.05 | | |
| | | | 253 | 0.03 | | |
| | | | 254 | 0.10 | | |
| | | | 127 | 0.06 | | |
| | | | 128/1 | 0.07 | | |
| | | | 128/2 | 0.07 | | |
| | | | 140 | 0.03 | | |
| | | | 130 | 0.14 | | |
| | | | 116 | 0.06 | | |
| | | | 115 | 0.10 | | |
| | | | 113/1 | 0.06 | | |
| | | | 113/2 | 0.06 | | |
| | | | 102 | 0.08 | | |
| | | | 106 | 0.04 | | |
| | | | 271 | 0.08 | | |
| | | | 273/1 | 0.03 | | |
| | | | 274/1 | 0.05 | | |
| | | | 274/2 | 0.04 | | |
| | | | 275 | 0.02 | | |
| | | | 278 | 0.02 | | |
| | | योग | | 3.70 | | |
| | | शासकीय भूमि | | | | |
| | | | 376 | 0.02 | | |
| | | | 758 | 0.03 | | |
| | | | 358 | 0.01 | | |
| | | | 306 | 0.01 | | |
| | | | 247 | 0.01 | | |
| | | | 117 | 0.02 | | |
| | | | 104 | 0.01 | | |
| | | | 276 | 0.02 | | |
| | | योग | | 0.13 | | |
| | | सकल योग | | 3.83 | | |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू – अर्जन अधिकारी, कार्यालय क्लेक्टर/हिपडॉरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-07 (अ-82) 2019-20-67.—

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाधान अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में सामाजिक समाधान अध्ययन रिपोर्ट से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधरा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-

| जिला | तहसील/तालुक | नगर/ग्राम | सर्व नंबर | कुल रकवा | भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे. में) | निर्माण कार्य एजेंसी का नाम | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन | |
|----------|----------------|-----------------------|--------------------|-------------|---|---|--------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| डिण्डौरी | शहपुरा | कोहानी मय कराँदी रेयत | 528 | 2.81 | 0.10 | कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी | सारसडोली जलाशय परियोजना का नहर कार्य | |
| | | दायी तट | 526 | 0.51 | 0.01 | | | |
| | | मुख्य माइनर | 398 | 2.94 | 0.16 | | | |
| | | | 401 | 1.46 | 0.05 | | | |
| | | | 400 | 0.90 | 0.05 | | | |
| | | | 403 | 0.48 | 0.02 | | | |
| | | | 332/1 | 0.44 | 0.04 | | | |
| | | | 332/2 | 0.60 | 0.03 | | | |
| | | | 330 | 0.71 | 0.04 | | | |
| | | | 328 | 2.24 | 0.01 | | | |
| | | | योग | | 13.09 | | | 0.51 |
| | | | शासकीय भूमि | | | | | |
| | | | | 399 | 0.31 | | | 0.01 |
| | | | | 333 | 0.24 | | | 0.01 |
| | | | | 329 | 0.25 | | | 0.02 |
| | | 536 | 6.12 | 0.02 | | | | |
| | योग | | 6.92 | 0.06 | | | | |
| | सकल योग | | 20.01 | 0.57 | | | | |

2. भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-04 (अ-82) 2019-20-68

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्य नीति अनुसार डिण्डौरी विकास खण्ड में स्थित मुड़की मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य से प्रभावित ग्राम विनोदी माल प.ह.नं. 22 रा.नि.मं. शाहपुर विकासखण्ड डिण्डौरी जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारकों की सहमति से भूमि क्य करने का विचार किया जा रहा है।

| संक्र. | ग्राम का नाम | कृषक का नाम | खसरा नंबर | कुल रकवा | वर्तमान में अर्जित रकवा है में | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|--------|-----------------------------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | विनोदी | गोविंद/ कालूराम | 347 | 2.50 | 1.00 | मुड़की मध्यम |
| 2 | माल प.ह. नं. 22 रा. नि.मं. शाहपुर | दिगम्बर/ दीना | 346/2 | 1.20 | 0.24 | परियोजना |
| 3 | | सवनी बाई/ छोटेलाल | 352 | 0.55 | 0.27 | शीर्ष कार्य |
| 4 | | देव सिंह / जय सिंह | 353 | 0.60 | 0.11 | के अंतर्गत |
| 5 | | मैको बाई/ रामदीन | 359/1 | 0.40 | 0.10 | ग्राम |
| 6 | | यशोदा बाई/ जय सिंह | 440/1 | 0.95 | 0.22 | गनवाही |
| 7 | | कुलपत / देवल | 404/3 | 0.40 | 0.40 | माल के |
| 8 | | बलम / रूपसिंह | 440/2 | 0.95 | 0.05 | पूरक प्रस्ताव |
| 9 | | राधा बाई/ रघुवीर | 460 | 4.04 | 0.17 | |
| 10 | | बसोरिन बाई/ लमुआ | 356 | 1.06 | 0.23 | |
| 11 | | गुलाब / बजरू | 357 | 1.04 | 1.04 | |
| | | योग :- | | <u>13.690</u> | <u>3.830</u> | |

उपरोक्तानुसार क्य की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित बावत/ दावा/ आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें, नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/ आपत्तियों को मान्य नहीं की जावेगी।

क्र. भू-अर्जन-10 (अ-82) 2019-20-69.—

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बिलगांव मध्यम परियोजना के द्वृष्ट क्षेत्र से प्रभावित ग्राम कटेहरा प.ह.नं. 36 रा.नि.म. अगेरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिप्लॉरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

| क्र. | ग्राम का नाम | कृषक का नाम | खसरा नम्बर | कुल रकवा है. में | दर्तगान में अर्जित रकवा है. में | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|------|--------------|-----------------------|------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | कटेहरा | बेसाखू सिंह पिता छोटा | 266/1 | 4.34 | 0.32 | बिलगांव मध्यम परियोजना के द्वृष्ट |

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित व उस पर स्थित मकान/कूप / वृक्ष आदि बावत/दावा /आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो मध्य अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियां मान्य नहीं की जावेगी।

क्र. भू-अर्जन-11 (अ-82) 2019-20-70

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बरगांव वियर के निम्नान्त हेतु भू-अर्जन प्रस्ताव ग्राम बरगांव प.ह.नं. 41 रा.नि.म. शहपुरा तहसील शहपुरा डिप्लॉरी जिला डिप्लॉरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

| ग्राम का नाम | क्र. | खालीदार का नाम | खसरा नम्बर | कुल रकवा है. में | क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|--------------|------|---|------------|------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| बरगांव | 1 | टन्दूराम पिता मंसाराम | 1566/1 | 0.310 | 0.050 | बरगांव वियर के निम्नान्त हेतु भू-अर्जन प्रस्ताव |
| | 2 | रघुवा, कन्ना, जमना पिता चौधर | 1641 | 0.120 | 0.060 | |
| | 3 | घनश्याम, मुकेश पिता जंगल, नहीं बाई पति जंगल | 1642 | 0.070 | 0.040 | |
| | 4 | नारायण पिता जियालाल | 1646/1 | 0.400 | 0.120 | |
| | 5 | अखिलेश पिता जियालाल | 1646/2 | 0.400 | 0.090 | |
| | 6 | सेवन्द कुमार पिता मायाराम | 1646/3 | 0.540 | 0.080 | |
| | 7 | मनीष कुमार पिता मायाराम | 1646/4 | 0.540 | 0.090 | |
| | 8 | आशीष कुमार पिता मायाराम | 1645/5 | 0.530 | 0.070 | |
| Total | | | | 2.910 | 0.600 | |

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित व उस पर स्थित मकान/कूप / वृक्ष आदि बावत/दावा /आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो मध्य अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियां मान्य नहीं की जावेगी।

क्र. भू-अर्जन-12 (अ-82) 2019-20-71.—

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश सामुदायिक विभाग मंज़ालय बल्कम भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित चंदवाही जलाशय स्पिल क्षेत्र से प्रभावित ग्राम कटेहरा प.ह.नं. 38 स.नि.म. अमेरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

| क्र. | ग्राम का नाम | कृषक का नाम | खसरा नम्बर | कुल रकवा है. में | वर्तमान में अर्जित रकवा है. में | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|------|--------------|-----------------------------|------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | चंदवाही | झामू बिसराम पिता समनू बगैरह | 645 | 0.31 | 0.05 | चंदवाही जलाशय स्पिल क्षेत्र |
| 2 | | लंगडा पिता समनू | 649/2 | 0.26 | 0.05 | |
| 3 | | इश्वर पिता प्रेमलाल | 651 | 0.27 | 0.20 | |
| 4 | | सुकरू पिता प्रेमलाल | 652 | 0.30 | 0.11 | |
| | | कुल | | 1.14 | 0.41 | |

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित व उस पर स्थित मकान / कूप / वृक्ष आदि बावत / दावा / आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो, मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त धर्वे / आपत्तियाँ भान्ये नहीं की जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. कार्तिकेयन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, एवं भू-अर्जन अधिकारी जिला मुरैना मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

प्र. क्र. 61-अ-82-भू-अर्जन-2017-18-8034-1.—

मुरैना, दिनांक 18 जुलाई 2019

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 सिहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (गवालियर-श्योपुरकला रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम-पासोनकला प0ह0क0-51 राठनी० वृत-04 तहसील -सवलगढ़ उपखण्ड-सवलगढ़ जिला-मुरैना में कुल 1.740 हैक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- पासोनकला प0ह0क0-51 राठनी० वृत-04 तहसील- सवलगढ़ उपखण्ड-सवलगढ़ जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

| | | |
|--|----------|----------|
| क. जिला | मुरैना | |
| ख. तहसील | सवलगढ़ | |
| ग. ग्राम | पासोनकला | |
| घ. लगभग क्षेत्रफल | 1.740 | हैक्टेयर |
| भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नलिखित है:- | | |

| क्र. सं. | सर्वेन बर | स्वामित्व का प्रकार | भूमि का प्रकार | कुल क्षेत्रफल | अर्जन का क्षेत्रफल | हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) |
|-------------|--------------|------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 135 | भूमिस्वामी | कृषिभूमि | 0.460 | 0.103 | पतिराम बा नरोत्तम नाबा आत्मज मुल्ला सर प्र पिता जाति त्यागी ब्रा निग्राम |
| 2 | 136 | भूमिस्वामी | कृषिभूमि | 0.230 | 0.153 | मु राज कुंआर वेवा ल्होरे केदार प्रकाश श्रीलाल पुत्रगण ल्होरे बादामी लीलावती कलावती नारायणी पुत्रियां ल्होरे जाति किरार समान भाग नि ग्राम |
| 3 | 139 | भूमिस्वामी | कृषिभूमि | 0.390 | 0.084 | भागवती पत्नी विजयसिंह रकवा 0.25 उर्मिला पत्नी दिनेश रकवा 0.14 दर हि 1/2 जगन्नाथ पुत्र बुद्धी हि 1/2 जाति धाकड़निग्राम |
| 4 | 144 | भूमिस्वामी | कृषिभूमि | 0.380 | 0.097 | भागवती पत्नी विजयसिंह रकवा 0.25 उर्मिला पत्नी दिनेश रकवा 0.14 दरहि 1/2 जगन्नाथपुत्र बुद्धी हि 1/2 जाति धाकड़ निग्राम |

| | | | | | | |
|-----|-----------|------------|-----------|-------|-------|---|
| 5 | 186 /1 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.230 | 0.125 | सुशीला वेवा सुखराम रामकुमार पुत्र सुखराम मंजू नाबा पुत्री सुखराम सरप्र मां खुद समान भाग जाति त्यागी नि ग्राम |
| 6 | 186 /2 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.230 | 0.092 | राकेश ब्रजेश पुत्रगण रामजीलाल जाति त्यागी नि ग्राम |
| 7 | 191 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.490 | 0.095 | चतुर्थमुन्ज पुत्र कलुआ जाति ब्रा नि ग्राम भूमिस्वामी |
| 8 | 195 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.490 | 0.250 | कमोदा वेवा परीक्षत कन्हैया राजेन्द्र सतीश पुत्रगण परीक्षत रामवती द्रोपती उमिला सरस्वती मुन्नी पुत्रियां परीक्षत जाति त्यागी नि ग्राम स भा भूमिस्वामी |
| 9 | 200 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.260 | 0.099 | सिवालाम पुत्र बुही जाति किरार नि ग्राम |
| 10 | 201 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.300 | 0.175 | जवलाल पुत्र हरिप्रसाद जाति किरार नि ग्राम |
| 11 | 202 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.360 | 0.002 | तुस्ती प्रभु पुत्र मतिखान जाति किरार नि ग्राम |
| 12 | 206 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.320 | 0.157 | रामनिवास बा बनवारी वासुदेव नाबा पुत्रगण सूरजमल सरप्र पिता खुद जाति त्यागी नि ग्राम |
| 13 | 207 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.370 | 0.049 | मु सुशीला वेवा रामजीलाल राकेश ब्रजेश पुत्रगण रामजीलाल पुष्पा कमलेश गुड़डी योगेश पुत्रियां रामजीलाल जाति त्यागी समान भाग हि 2/7 सूरजमल पुत्र पन्ना हि 2/7 मु सुशीला वेवा सुखराम रामकुमार पुत्र सुखराम मंजू नाबा पुत्री सुखराम सरप्र मां समान भाग हि 3/7 जाति त्यागी नि ग्राम |
| 14 | 209 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.260 | 0.259 | मु सुशीला वेवा रामजीलाल राकेश ब्रजेश पुत्रगण रामजीलाल पुष्पा कमलेश गुड़डी योगेश पुत्रियां रामजीलाल जाति त्यागी समान भाग हि 1/5 सूरजमल पुत्र पन्ना मु रुकमा वेवा पन्ना समान भाग हि 2/5 मु सुशीला वेवा सुखराम रामकुमार पुत्र सुखराम मंजू नाबा पुत्री सुखराम सरप्र मां समान भाग हि 1/5 रामनिवास बनवारी वासुदेव पुत्रगण पुत्रान सूरजमल समान भाग हि 1/5 जाति त्यागी नि ग्राम |
| कुल | 14 | | | 4.770 | 1.740 | |

- यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वारान और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सभाक जांच के पश्चात की गयी है।
- नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र विनियत करने का प्रयत्न उद्भूत नहीं होता है।

3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खाने हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्य) सबलगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये जाते हैं। उसी इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 74-अ-82-भू-अर्जन-2017-18-8036-3.—

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 (सिहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (वालियर-श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम-पूछरी प0ह0क0-32 रा0नि0 वृत-38 तहसील -सबलगढ़ उपखण्ड-सबलगढ़ जिला-मुरैना में कुल 0.386 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- पूछरी, प0ह0क0-32 रा0नि0 वृत-38 तहसील- सबलगढ़ उपखण्ड-सबलगढ़ जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला मुरैना
ख. तहसील सवलगढ़
ग. ग्राम पूछरी
घ. लगभग क्षेत्रफल 0.366 हैक्टेयर
भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नलिखित है:-

है:-

| क्र. सं. | सर्वे नंबर | स्वामित्व का प्रकार | भूमि का प्रकार | कुल क्षेत्रफल | अर्जन का क्षेत्रफल | हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) |
|----------|-----------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------|--|
| 1 | 156 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.250 | 0.052 | मु0 जसोदा बेवा पांचा रघूबीर पुत्र पांचा नाबा0 सर0 मु0 जशोदा कंचन नाबा0 पुत्री पांचा सर0 मां जशोदा समान भाग 1/20 सुमित्रा किन्ती पुत्रियां हरिमुख समान भाग 1/20 भूमिस्वामी रतनू दुर्जन पुत्रगण हटीला मु0 रामो बेवा श्यामलाल समान भाग 1/20 कान्ती पुत्री धनसुख भाग 1/20 केशरदे बेवा धनसुख भाग 1/4 मु0 जनूका बेवा हटीला रामकुआरि भन्ती बैकुची बैजन्ती पुत्रियां हटीला समान भाग 7/32 राजेन्द्रसिंह बीरसिंह पुत्रगण |
| 2 | 157 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.150 | 0.005 | श्यामलाल नारायणीवाई शीलाबाई पुत्रियां श्यामलाल 1/4 भाग भूमिस्वामी मु0 रामो बेवा श्यामलाल 1/32 रतनू दुर्जन पुत्रगण हटीला जाति जाटव पता निवासी ग्राम 1/4 समान भाग भूमिस्वामी भू-राजस्व 0.12 |
| 3 | 167/3/ मिन 2 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 1.150 | 0.149 | रतनू लालाराम पुत्र हटीला समान 2/3 भाग भूमिस्वामी राजेन्द्र बीरसिंह पुत्र श्यामसिंह जाति जाटव पता निवासी ग्राम 1/3 समान भाग भूमिस्वामी भू-राजस्व 11.50 भूमि विक्रय से वर्जित है। |

| | | | | | | |
|---|-------|-------|-----------|------------|-----|---|
| पवनकुमार पुत्र केदारलाल बेश्य रामरतन पुत्र दहोलीराम जाति जाटव समान भाग 12/27 कौशलचन्द्र पुत्र मुन्नालाल गर्ग जाति वैश्य निरो ग्राम हाल निवासी सबलगढ़ रामलखन राजपाल पुत्रगण दौजीराम समान भाग 7/27 जाति जाटव निरो ग्राम भूमिस्वामी भूरा 0 1.75 | 0.160 | 0.270 | कृषि भूमि | भूमिस्वामी | 169 | 4 |
| कुल किता 04 | 0.366 | | | | | |
| कुल किता 04 | | | | 0.366 | | |

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्वरस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांघ के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्वरस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खाने हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विषेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के गतिर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाष में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 54-अ-82-भू-अर्जन-2017-18-8036-1.—

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 (सहयोगित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुरकलौ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम-मानपुर प0ह0क0-05 राठनी० वृत्त-01 तहसील -सवलगढ़ उपखण्ड-सवलगढ़ जिला-मुरैना में कुल 2.020 हैक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- मानपुर, प0ह0क0-05 राठनी० वृत्त-01 तहसील- सवलगढ़ उपखण्ड-सवलगढ़ जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

| | |
|--|----------------|
| क. जिला | मुरैना |
| ख. तहसील | सवलगढ़ |
| ग. ग्राम | मानपुर |
| घ. लगभग क्षेत्रफल | 2.020 हैक्टेयर |
| भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नलिखित है:- | |

है:-

| क्र. सं. | सर्वे नंबर | स्वामित्व का प्रकार | भूमि का प्रकार | कुल क्षेत्रफल | अर्जन का क्षेत्रफल | हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अग्रिमेख अनुसार) |
|----------|------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------|--|
| 1 | 240 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.740 | 0.584 | मांगी पुत्र अंगद जनकबाई पुत्री अंगद जाति कडेरा पता निरो ग्राम समान भाग शासकीय पटटेदार। |
| 2 | 241 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.740 | 0.450 | धम्पु पुत्र मंगलिया रामबाई पुत्री मंगलिया समान भाग 1/2 लीला बेवा रामचरण रामसिंह मोहरसिंह पुत्रगण रामचरण उर्मिला महेश्वरी पुत्रीयां रामचरण समान भाग 1/4 रमको बेवा बालू जगदीश प्रकाश रघुवीर पुत्रगण बालू लीला प्रेम अनीता पुत्रीयां बालू समान भाग 1/4 जाति |

| | | | | | | |
|--------------------|-----|------------|-----------|--------------|-------|--|
| | | | | | | कडेरा निरो ग्राम शासकीय पटटेदार। |
| 3 | 242 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.740 | 0.402 | रामश्री वेवा मांगी शिवराज शिवदयाल पुत्रगण मार्गी शवुत्तला ममता सुनीता पुत्रीयां मांगी जाति कडेरा पता निरो ग्राम समान भाग शासकीय पटटेदार। |
| 4 | 243 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.740 | 0.326 | जगन्नाथ पुत्र परिमाल जाति रावत निरो ग्राम शासकीय पटटेदार से भूमिस्वामी। |
| 5 | 390 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.110 | 0.110 | रामनाथ दत्ताल पुत्र हरीसिंह जाति रावत निरो ग्राम भूमिस्वामी। |
| 6 | 391 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.110 | 0.090 | जगरूप पुत्र मिश्री जाति रावत निरो ग्राम भूमिस्वामी। |
| 7 | 392 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.120 | 0.040 | लाखन पुत्र मिश्री जाति रावत निरो ग्राम भूमिस्वामी। |
| 8 | 393 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.100 | 0.018 | श्रीपति पुत्र लक्ष्मी जाति रावत निरो ग्राम भूमिस्वामी। |
| कुल किता 08 | | | | 2.020 | | |

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रत्युत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्बों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिह्नित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खाने हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य भ्रमण के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :—धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 75-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-2017-18-8035

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 (सिहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (गवालियर-श्योपुरकलौ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम-काजोना प0ह0क0-33 राठनी0 वृत्त-38 तहसील -सवलगढ़ उपखण्ड-सवलगढ़ जिला-मुरैना में कुल 0.910 हैक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- काजोना, प0ह0क0-33 राठनी0 वृत्त-38 तहसील- सवलगढ़ उपखण्ड-सवलगढ़ जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

| | |
|-------------------|---------------|
| क. जिला | मुरैना |
| ख. तहसील | सवलगढ़ |
| ग. ग्राम | काजोना |
| घ. लगभग क्षेत्रफल | 0.910हैक्टेयर |

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नलिखित है:-

है:-

| क्र. सं. | सर्वे नंबर | स्वामित्व का प्रकार | भूमि का प्रकार | कुल क्षेत्रफल | अर्जन का क्षेत्रफल | हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) |
|----------|------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------|--|
| 1 | 45 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 1 0.650 | 0.063 | सोनेराम पुत्र भगवन्त, बा० पीतम कुवरराज श्रीनिवास पुत्रगण जनवेद लीला पुत्री जनवेद, बा० त्रिवेणी बेवा ब्रजलाल, महेश रामवीर पुत्रगण ब्रजलाल, मिथ्यलेश पुत्री ब्रजलाल, बैजन्ती बेवा रतनू शीला पुत्री रतनू पता नि० ग्राम भूमिस्वामी। |
| 2 | 47 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.025 | 0.025 | रामभजन दर्शन रामनिवास पुत्रगण परिमाल फूला रामदुलारी छोटी सावित्री पुत्रिया परिमाल हि० 1/2 स० भाग जाति ब्रा० निवासी पुछरी रामकटोरी बेवा रमेशचन्द्र सोनेपाल पुत्र ल्होरेशम समान भाग 1/2 जाति रावत पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी। |
| 3 | 48 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.110 | 0.038 | रामभजन दर्शन रामनिवास पुत्रगण परिमाल फूला रामदुलारी छोटी सावित्री पुत्रिया परिमाल हि० 1/2 स० भाग जाति ब्रा० निवासी पुछरी रामकटोरी बेवा रमेशचन्द्र सोनेपाल पुत्र ल्होरेशम समान भाग 1/2 |

| | | | | | | |
|----|-----|------------|-----------|-------|-------|--|
| | | | | | | जाति रावत पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि रखामी। |
| 4 | 51 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.240 | 0.029 | भगवाललाल पुत्र घसिया सावो ल्होई पुत्रियां घसिया स० भाग 1/2 ल्होई चिरोंजी रतनबाई पुत्रियां बिस्सू स० भाग 1/2 जाति लुहार पता निं० ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 2.50 |
| 5 | 67 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 1.360 | 0.037 | राजराम श्रीगणेश पुत्रगण घसिया जाति रावत पता निं० ग्राम मांगरौल समान भाग भूमिस्वामी भू-राजस्व 9.69 |
| 6 | 68 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 1.190 | 0.043 | शंकरलाल पुत्र भगवानलाल जाति रावत पता निं० ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 0.8 |
| 7 | 69 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.110 | 0.013 | शंकरलाल पुत्र भगवानलाल जाति रावत पता निं० ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 1.44 |
| 8 | 72 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.060 | 0.029 | शंकरलाल पुत्र भगवत जाति रावत पता निं० ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 0.50 |
| 9 | 73 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.160 | 0.021 | परीक्षित द्वारका रमेश नारायण पुत्रगण सरवन जाति गडरिया पता निं० ग्राम भूमिस्वामी कमला रामरती पुत्रियां सरमन जाति गडरिया पता निं० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी भू-राजस्व 1.45 |
| 10 | 74 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.110 | 0.012 | सूबेलाल पुत्र शंकरलाल जाति रावत पता निं० ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 0.77 |
| 11 | 77 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.470 | 0.090 | बीरवल बादशाह पुत्र सुन्दरलाल जाति गडरिया पता निं० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी भू-राजस्व 3.00 |
| 12 | 82 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 1.430 | 0.199 | लीला पत्नी रामेश्वर जाति ब्राह्मण पता निं० ग्राम मांगरौल भूमिस्वामी भू-राजस्व 9.11 |
| 13 | 85 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.530 | 0.086 | परीक्षित द्वारका रमेश नारायण पुत्रगण सरवन जाति गडरिया पता निं० ग्राम भूमिस्वामी कमला रामरती पुत्रियां सरमन जाति गडरिया पता निं० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी भू-राजस्व 4.98 |
| 14 | 102 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.100 | 0.050 | रोशन हाकिम रामस्वरूप पुत्रगण भगवानलाल हि० 1/6 समान भाग सावो ल्होई पुत्रियां भगवानलाल हि० 2/6 ल्होई चिरोंजी रतनबाई पुत्रियां बिस्सू हि० 1/2 जाति लुहार पता निं० ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 1.12 |
| 15 | 103 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.720 | 0.067 | लालपति पुत्र पन्नालाल हि० 0.12 लालपति पुत्र पन्नालाल हि० 0.04 कल्लो पुत्री पन्नालाल हि० 0.12 मु० रामश्री देवा बाबू राममूर्ति पुत्र बाबू पुष्पा पुत्री बाबू हि० 0.04 समान भाग रेश्मी पत्नी परसराम हि० 0.018 सभी जाति रावत पता निं० ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 11.00 |
| 16 | 104 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.040 | 0.018 | दीपक पुत्र द्वारिका गौड जाति बढई पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी। |

| | | | | | | |
|--------------------|-----|------------|--------------|-------|-------|--|
| 17 | 105 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.430 | 0.090 | द्वारिका महेन्द्र सतीश पूरन पुत्रगण शैकर कम्पूरी पुत्री शंकर मु ० गणेशी बेवा शंकर जाति गौड़ पता नि० ग्राम समाज भाग भूमिस्वामी भू-राजस्व 3.06 |
| कुल किता 17 | | | | | | 0.010 |

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के ज्ञाक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट पत्रित की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिह्नित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, रस्ता, या अन्य खनिजों की खाने हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयाजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटायें या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :-धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 57-अ-82-भू-अर्जन-2017-18-8034-2.—

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 सुहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (गवालियर-श्योपुरकलौं रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम- पासोनखुर्द प0ह0क0-..51 रा0नि0 वृत्त-04 तहसील -सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला-मुरैना में कुल 1.023 हैक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- पासोनखुर्द प0ह0क0-51 रा0नि0 वृत्त-04 तहसील- सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

| | |
|-------------------|----------------|
| क. जिला | मुरैना |
| ख. तहसील | सवलगढ़ |
| ग. ग्राम | पासोनखुर्द |
| घ. लगभग क्षेत्रफल | 1.023 हैक्टेयर |

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नलिखित है:-

| क्र. सं. | सर्वनंबर | स्वामित्व का प्रकार | भूमि का प्रकार | कुल क्षेत्रफल | अर्जन का क्षेत्रफल | हितवद्व व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) |
|----------|----------|---------------------|----------------|---------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 190 | भूमिस्वामी | कृषिभूमि | 0.350 | 0.060 | रामचरनपुत्र गयाराम जा०त्यागी ब्रा नि ग्राम भूमिस्वामी |
| 2 | 191 | भूमिस्वामी | कृषिभूमि | 0.470 | 0.003 | रामदयालपुत्र मंगलिया जाति जाटव पता नि. ग्राम भूमिस्वामी |
| 3 | 206 | भूमिस्वामी | कृषिभूमि | 0.070 | 0.011 | मु शान्ती वेवा रोशन मानपाल हेमराज रामबरन पुत्रगण रोशन रोनावाई पुत्री रोशन जाति जाटव पता निवासी ग्राम समान थांग भूमिस्वामी |
| 4 | 207 | भूमिस्वामी | कृषिभूमि | 0.300 | 0.014 | रामबरनपुत्र परिमाल-रकवा 0.04 - 1/2 रामबरन दत्तकपुत्र दिलीप रकवा 0. 10-1/2 दस्थांग 1/2 मु अवलिका वेवा अशोक दुर्गेश बा० अनेक बजपाल नाबा० पुत्रगण अशोक स०भा० 1/2 जाति गो० पू० पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी |

| | | | | | | |
|----------|-------|------------|-----------|-------|-------|--|
| | 208 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.770 | 0.075 | सरदार नानकराम रामस्वरूप पुत्रगण दौलतिया जाति बा. नि ग्राम भूमिस्वामी |
| 6 | 211/1 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.320 | 0.033 | जगन्नाथ पुत्र हरिकिशुना जा धाकड नि नारायणपुरा भूमिस्वामी |
| 7 | 212 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.550 | 0.085 | मु द्रोपति वेवा रमेशचन्द्र हि 1/2 रेखा पत्नी वासुदेव हि 1/4 रेखा पत्नी अखलेश हि 1/4 जा त्यागी नि ग्राम भूमिस्वामी |
| 8 | 215 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.250 | 0.111 | रामहेत दिलीप पीतम पुत्रगण जगन्नाथ हि 3/4 मु अवन्तिका वेवा अशोक दूर्गेश बा अनेक ब्रजपाल नाबा पूत्रगण अशोक सरप्र मां स भा हि 1/8 रामवरन पुत्र परिमाल हि 1/8 जा त्यागी नि ग्राम स भा भूमिस्वामी |
| 9 | 216 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.640 | 0.157 | रामहेत दिलीप पीतम पुत्रगण जगन्नाथ हि 3/4 मु अवन्तिका वेवा अशोक दूर्गेश बा अनेक ब्रजपाल नाबा पूत्रगण अशोक सरप्र मां स भा हि 1/8 रामवरन पुत्र परिमाल हि 1/8 जा त्यागी नि ग्राम स भा भूमिस्वामी |
| 10 | 217 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 1.370 | 0.307 | सरदार नानकराम रामस्वरूप पुत्रगण दौलतिया जा बा. नि ग्राम भूमिस्वामी |
| 11 | 237 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.300 | 0.167 | ग्यासिया पुत्र हरीचन्द्र हि 50/71 रामहेत पुत्र गनपति हि 21/71 जाति त्यागी भूमिस्वामी |
| कुल किता | 11 | | | 5.390 | 1.023 | |

- यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
- नियम 4 के अधीन गठित ढल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निम्नक है, अतः इनके लिए पुनर्वस्थापन के क्षेत्र चिह्नित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
- उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खाने हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खादे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
- कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :—धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 54-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-2017-18-1112/2.—

मुरैना, दिनांक 28 जनवरी 2019

भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 सिहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत}

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्योपुरकलौ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम- देवपुर, तहसील व सुपखण्ड- सवलगढ़, जिला-मुरैना में कुल रकवा 8.120 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला- मुरैना तहसील- सवलगढ़ के ग्राम- देवपुर प0ह0नं0- 48 रा.नि. वृत्त- 38 में उक्त परियोजना के लिये 8.120 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

| क्र. सं. | सर्वे नंबर | स्वामित्व का प्रकार | भूमि का प्रकार | अर्जन का क्षेत्रफल | हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) |
|----------|------------|---------------------|----------------|--------------------|---|
| 1 | 140 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.073 | श्रीनिवास नरोत्तम पुत्रगण प्रभु रामपति देकुन्ठी पुत्रियां प्रभु समान भाग 5/24 रामस्वरूप, रामदयाल, पुत्र हजारी सम्पत्ति पुत्री हजारी 15/24 समान भाग भूमि स्वामी रामप्रसाद पुत्र मोती रामहेती पुत्री मोती हि0 1/6 समान भाग पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी। |
| 2 | 153 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.116 | शंकर पुत्रगण काशीराम हि0 1/2, महेश, सियाराम पुत्रगण शंकर हि0 1/2 स0 भा0 जाति रावत पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी भूरा0 14.69 |
| 3 | 158 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.057 | हरिचंद्रन श्रीनिवास रमेश रामजी पुत्रगण उंकार मुन्नी पुत्री उंकार समान भाग 1/4 शिवचंद्रन राशन रामनिवास वा0 रामलखन नावा0 पुत्रगण केशव मु0 छोटी बेवा केशव जाति रावत पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी कमलेश रुमाली ल्होरी वा0 रुपो नाबा0 पुत्रियां केशव सर0 मां खुद हि0 1/4 समान भाग जाति रावत पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी श्रीधर पुत्र तिलोका वसन्ती बेवा तिलोका कलावती वा0 वतोला नावा पुत्रियां तिलोका सरप0 मां 1/12 जाति रावत पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी मानन्द वालमुकून्द पुत्रन गुल्ला काशीबाई गंगाबाई पुत्रियां गुल्ला समान भाग हि0 4/12 मु0 रामकटोरी बेवा खाले |

| | | | | | | |
|----|-----|------------|-----------|-------|--|---|
| | | | | | | लक्ष्मीनारायण लक्ष्मण पुत्रान रमले विमला कमले दुलारी विद्या पुत्रियां रमले समान भाग हि० 1/12 जाति रावत पता निं० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 4.00 |
| 4 | 160 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.368 | | रामराज सुरेश वा० पप्पू नाबा० पुत्रगण जीवनलाल सर मां खुद कोशा पुत्री जीवनलाल जाति रावत पता निं० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी। |
| 5 | 168 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.009 | | रामराज सुरेश वा० पप्पू नाबा० पुत्रगण जीवनलाल सर मां खुद कोशा पुत्री जीवनलाल जाति रावत पता निं० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी। |
| 6 | 201 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.408 | | श्रीकान्त रमाकान्त नरेश बीरेन्द्र बिष्णु पुत्रगण बनमाली निर्मला कुसुम पुत्रियां बनमाली जाति ब्रा० पता निं० ग्राम सवलगढ समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.19 |
| 7 | 202 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.403 | | लक्ष्मीकान्त पुत्र श्रीगोपालकृष्ण हि० 5/12 उर्मिला हेमलता पुत्रियां श्रीगोपालकृष्ण समान भाग 1/6 मु० महादेवी बेवा उमाकान्त रजनीकान्त वा० हेमन्त नाबा० पुत्रगण उमाकान्त सरप० मां० रशिम पुत्री उमाकान्त स० भाग 5/12 जाति ब्रा० पता निं० सवजगढ भूमि स्वामी भू-राजस्व 6.31 |
| 8 | 203 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.050 | | लक्ष्मीकान्त पुत्र श्रीगोपालकृष्ण हि० 5/12 उर्मिला हेमलता पुत्रियां श्रीगोपालकृष्ण समान भाग 1/6 मु० महादेवी बेवा उमाकान्त रजनीकान्त वा० हेमन्त नाबा० पुत्रगण उमाकान्त सरप० मां० रशिम पुत्री उमाकान्त स० भाग 5/12 जाति ब्रा० पता निं० सवजगढ भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.42 |
| 9 | 204 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.456 | | होरीलाल पुत्र मुरली हि० 1/2 सोनपाल पुत्र रामचरण दोनो जाति काढी हि० 1/10 सतीश पुत्र बाबूलाल बादामी पत्नी सतीश राठौर कमलेश पत्नी नरोत्तम राठौर हि० 1/10 पता निं० सीतापुर वस्ती सवलगढ भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.82 |
| 10 | 214 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.447 | | होरीलाल पुत्र मुरली हि० 28/56 सोनपाल बिरेन्द्र पुत्रगण रामचरण हि० 112/56 शीला पुत्री रामचरण हि० 03/56 सभी जाति काढी कमलेश पत्नी नरोत्तम राठौर पता निं० सितापुर वस्ती सवलगढ 0.138/56 भा० भूमि स्वामी भू-राजस्व 4.56 |

| | | | | | |
|----|-----|------------|-----------|-------|---|
| 1 | 215 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.038 | लक्ष्मीकान्त पुत्र श्रीगोपालकृष्ण हि० 5/12 उर्मिला हेमलता पुत्रियां श्रीगोपालकृष्ण समान भाग 1/6 मु० महादेवी बेवा उमाकान्त रजनीकान्त हेमन्त पुत्रगण उमाकान्त रश्मि पुत्री उमाकान्त स० भाग 5/12 जाति ब्रा० पता नि० सवलगढ़ भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.42 |
| 12 | 216 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.549 | लक्ष्मीकान्त पुत्र श्रीगोपालकृष्ण हि० 5/12 उर्मिला हेमलता पुत्रियां श्रीगोपालकृष्ण समान भाग 1/6 मु० महादेवी बेवा उमाकान्त रजनीकान्त हेमन्त पुत्रगण उमाकान्त रश्मि पुत्री उमाकान्त स० भाग 5/12 जाति ब्रा० पता नि० सवलगढ़ भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.59 |
| 13 | 218 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.003 | रामरूप जितेन्द्र पुत्रगण सुरेशकुमार हि० 1/5 समान भाग मु० रामश्री बेवा जीवनलाल कल्यान बदन दाताराम हलुका हरेती ममता पुत्रीया जीवनलाल हि० 1/5 समानभाग मु० मंगल वेवा गज्जे कमलसिंह भूपंसिंह दौलतराम पुत्रगण गज्जे रुमाली गुडडी मीना मीरा पुत्रीया गज्जे समान हि० 1/5 समान भाग भूमि स्वामी मु० सवित्री वेवा रघुनन्दन रामदई रामरती लीला हको भूरी पुत्रिया रघुनन्दन समान भाग 1/10 मु० लहोई बाई वेवा वद्रीप्रसाद हि० 1/10 प्रहलाद नरेश सुरेश अमरसिंह पुत्रगण गणेशा समान भाग 1/5 जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 9.31 |
| 14 | 219 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.330 | मु. बैजन्ती बेवा भरतलाल मानसिंह नावा पुत्र भरतलाल ललिता कल्ले धन्नी नावा पुत्रियां भरतलाल सर० मां जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.00 |
| 15 | 220 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.178 | रामनारायण रामगोपाल पूरनसिंह आ अंगद जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू०रा०शा० बिलमुक्ता 32.57 |
| 16 | 221 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.150 | मु. बैजन्ती बेवा भरतलाल मानसिंह नावा पुत्र भरतलाल ललिता कल्ले धन्नी नावा पुत्रियां भरतलाल सर० मां जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.17 |
| 17 | 222 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.120 | रामनारायण रामगोपाल पूरनसिंह पुत्रगण अंगद जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.94 |
| 18 | 223 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.296 | रामनारायण रामगोपाल पूरनसिंह पुत्रगण अंगद जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू०रा०शा०न० 220 |

| | | | | | |
|----|-----|------------|-----------|-------|---|
| 19 | 226 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.328 | रामनारायण रामगोपाल पूरनसिंह पुत्रगण अंगदे जाति रावत पता निं० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू०रा०शा०न०० 220 |
| 20 | 228 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.030 | मंदिर पुख्ता श्री मुरलीमनोहर जी बाके ग्राम ओकाफ डिपार्टमेन्ट प्रबंधक कलेक्टर मुरैना शासकीय पटटेदार भू० रा० शा० 5 |
| 21 | 229 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.085 | मंदिर पुख्ता श्री मुरलीमनोहर जी बाके ग्राम ओकाफ डिपार्टमेन्ट प्रबंधक कलेक्टर मुरैना शासकीय पटटेदार भू० रा० शा० 5 |
| 22 | 230 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.365 | रामगोपाल रामनारायण पुत्रगण अंगद जाति रावत पता निं० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू०-राजस्व 5.00 |
| 23 | 235 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.022 | हरीचरन श्रीनिवास रमेश रामजी पुत्रगण उंकार मुन्नी पुत्री उंकार समान भाग भू०-राजस्व 5.00 |
| 24 | 259 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.090 | हरीचरन श्रीनिवास रमेश रामजी पुत्रगण उंकार मुन्नी पुत्री उंकार समान भाग 1/4 शिववरन रोशन रामनिवास बा० रामलखन नाबा० पुत्रगण केशव भू० छोटी बेवा केशव जाति रावत पता निं० ग्राम भूमिस्वामी कमलेश रुमाली लहोरी बा० रुपो नाबा० पुत्रियां केशव सर० मां खुद हि० 1/4 समान जाति रावत पता निं० ग्राम भूमिस्वामी श्रीधर पुत्र तिलोका बसन्ती बेवा तिलोका कजावती बा० बतोला नाबा० पुत्रियां तिलोका सर० मां 1/12 जाति रावत पता निं० ग्राम भूमिस्वामी मानन्द बालमुकन्द पुत्रान गुल्ला काशीबाई गंगाबाई पुत्रियां गुल्ला समान भाग हि० 4/12 भू० रामकटोरी बेवा रमले लक्ष्मीनारायण लक्ष्मण पुत्रान रूले विमला कमला दुलारी विद्या पुत्रियां रमले समान भाग हि० 1/12 जाति रावत पता निं० ग्राम भूमिस्वामी । |
| 25 | 280 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.007 | रमेश भगवानसिंह कैलाशचन्द्र धनीराम पुत्रगण रामचरन समान भाग जाति रावत पता निं० ग्राम भूमिस्वामी । |
| 26 | 282 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.560 | हरीचरन श्रीनिवास रमेश रामजी पुत्रगण उंकार मुन्नी पुत्री उंकार समान भाग 1/4 शिववरन रोशन रामनिवास बा० रामलखन नाबा० पुत्रगण केशव भू० छोटी बेवा केशव जाति रावत पता निं० ग्राम भूमिस्वामी कमलेश रुमाली लहोरी बा० रुपो नाबा० पुत्रियां केशव सर० मां खुद हि० 1/4 समान जाति रावत पता निं० ग्राम भूमिस्वामी श्रीधर पुत्र तिलोका बसन्ती बेवा |

| | | | | | | |
|----|-----|------------|-----------|-------|--|---|
| | | | | | | तिलोका कजावती बा० वतोला नाबा० पुत्रियां तिलोका सर० मा० १ / १२ जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी मानन्द बालमुकन्द पुत्रान गुल्ला काशीबाई गंगाबाई पुत्रियां गुल्ला समान भाग हि० ४ / १२ मु० रामकटोरी बेवा रमले लक्ष्मीनारायण लक्ष्मण पुत्रान रूले विमला कमला दुलारी विद्या पुत्रियां रमले समान भाग हि० १ / १२ जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी । |
| 27 | 284 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.320 | | महेश सियाराम पुत्रगण शंकर जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी । |
| 28 | 285 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.060 | | शंकर पुत्र काशीराम हि० १ / ४ महेश सियाराम पुत्रगण शंकर हि० १ / ४ समान भाग मुरारी बिजयसिंह पुत्रगण सुखुआ मिथलेश पुत्री सुखुआ हि० १ / २ समान भाग जाति रावत पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू०रा०शा० लगान मुक्त । |
| 29 | 288 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.017 | | मु० मुल्लाबाई बेवा बुद्ध लाखनसिंह बीरवल पुत्रगण बुद्ध रेवती फूला लेखा रामरती पुत्रियां बुद्ध जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी । |
| 30 | 302 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.013 | | मुन्ही पुत्र लखपती नर्वदा सुआबाई पुत्रियां लखपति जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू०राजस्व 2.75 |
| 31 | 304 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.400 | | हरिचरन श्रीनिवास रमेश रामजी पुत्रगण ऊकार मुन्ही पुत्री ऊकार समान भाग १ / ४ शिवधरन रोशन रामनिवास वा० रामलखन नावा० पुत्रगण केशव मु० छोटी बेवा केशव जाति रावत पता नि० ग्राम भूमि स्वामी कमलेश रुमाली ल्होरी वा० रुपो नाबा० पुत्रियां केशव सर० मा० खुद हि० १ / ४ समान भाग जाति रावत पता नि० ग्राम भूमि स्वामी श्रीधर पुत्र तिलोका वसन्ती बेवा तिलोका कलावती वा० वतोला नावा पुत्रियां तिलोका सरप० मा० १ / १२ जाति रावत पता नि० ग्राम भूमि स्वामी मानन्द बालमुकूद्द पुत्रान गुल्ला काशीबाई गंगाबाई पुत्रियां गुल्ला समान भाग हि० ४ / १२ मु० रामकटोरी बेवा रमले लक्ष्मीनारायण लक्ष्मण पुत्रान रमले विमला कमला दुलारी विद्या पुत्रियां रमले समान भाग हि० १ / १२ जाति रावत पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू०राजस्व 259 |
| 32 | 305 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.270 | | श्रीनिवास नरोत्तम पुत्रगण प्रभु रामपति बैठन्ठी पुत्रियां प्रभु समान भाग ५ / २४ रमेशचन्द्र पुत्र रामस्वरूप रामदयाल पुत्र हजारी सम्पती पुत्री |

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----------|-------|--|---|
| | | | | | | हजारी 15/24 समान भाग भूमि स्वामी रामप्रसाद पुत्र मोतीराम हेती पुत्री मोती जाति रावत पता निर्ग्राम 1/6 भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.56 |
| 33 | 306 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.280 | कम्पोटर पुत्र लखपति नवदा सुआबाई पुत्रियां लखपति जाति रावत पता निर्ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.00 | |
| 34 | 308 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.053 | भीमसेन बादशाह पुत्रगण कन्हैया हिरो 2/8 समान भाग भूमि स्वामी लीला बाबूली शीला मीरा पुत्रियां कन्हैया हिरो 4/8 समान भाग मुरो पपीता देवा दिनेश अरविन्द रविन्द्र नावारो पुत्रगण दिनेश सरपरो मारो खुद हिरो 1/8 समान भाग राकेश पुत्र रामदीन भाग 1/8 जाति रावत पता निर्ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.46 | |
| 35 | 309 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.064 | महोरसिंह हुकुमसिंह नावारो पुत्रगण शिवसिंह सरपरो मुरो नारायणी मारो खुद समान भाग 2/3 राकेश सुरेन्द्र राजेन्द्र पुत्रगण कम्पोटर नावारो सरपरो कम्पोटर पिता खुद जाति रावत पता निर्ग्राम 1/3 समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.63 | |
| 36 | 311 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.230 | कम्पोटर पुत्र लखपति नवदा सुआबाई पुत्रियां लखपति जाति रावत पता निर्ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.60 | |
| 37 | 312 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.121 | मु. नारायणी बेवा शिवसिंह हाकिम सिंह हुकुमसिंह नावारो पुत्रगण शिवसिंह सरपरो मारो खुद जाति रावत पता निर्ग्राम भूमि स्वामी रामकेश्वर रामवती पिस्ता नावारो पुत्रियां शिवसिंह सरपरो मुरो खुद जाति रावत पता निर्ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.30 | |
| 38 | 318 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.374 | रामप्रकाश पुत्र जगन्नाथ जाति त्यागी ब्राह्मण पता निर्ग्राम सवलगढ़ भूमि स्वामी भू-राजस्व 7.94 | |
| 39 | 320 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.378 | रामप्रकाश पुत्र जगन्नाथ जाति त्यागी ब्राह्मण पता निर्ग्राम सवलगढ़ भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.56 | |
| कुल | | | | 8.118 | | |

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुदिभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है। सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृद्ध को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवनृदा में

खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 80-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-2017-18-8033

मुरैना, दिनांक 18 जुलाई 2019

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 (सिहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)।

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुरकलौ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम-बावडीपुरा प0ह0क0-05 रा0नि0 वृत्त-01 तहसील -सवलगढ़ उपखण्ड-सवलगढ़ जिला-मुरैना में कुल 1.504 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- बावडीपुरा, प0ह0क0-05 रा0नि0 वृत्त-01 तहसील- सवलगढ़ उपखण्ड-सवलगढ़ जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

| | |
|--|----------------|
| क. जिला | मुरैना |
| ख. तहसील | सवलगढ़ |
| ग. ग्राम | बावडीपुरा |
| घ. लगभग क्षेत्रफल | 1.504 हेक्टेयर |
| भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नलिखित है:- | |

| क्र. सं. | सर्व नंबर | स्वामित्व का प्रकार | भूमि का प्रकार | कुल क्षेत्रफल | अर्जन का क्षेत्रफल | हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) |
|----------|-----------|---------------------|----------------|---------------|--------------------|---|
| 1 | 774 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.270 | 0.039 | शिवसिंह राममुनेश दिनेश पुत्रगण करन कमला विमला ओमवती पुत्रीयां करन समान भाग जाति रावत पता नि0 ग्राम शासकीय पट्टेदार। |

| | | | | | | |
|---|-----|------------|--------------|-------|-------|--|
| 2 | 798 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.730 | 0.037 | करन परिमाल पुत्रगण मोतिलाल कलावती रामहेती कटोई रामरती पुत्रीयां मोतिलाल समान भाग 196/306 छोटी पुत्री झण्डू हिं 77/306 हरेत वकील पुत्रगण कन्हैया लीला मथुरा ल्होई हरेती पुत्रियां कन्हैया समान भाग 7/8 राहुल नाबा० पुत्र दिनेश भाग 1/8 दर भाग 33/306 जाति रावत पता निं० ग्राम भूमिस्वामी। |
| 3 | 806 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.380 | 0.116 | रामहेती वेबा सुगन महीपति पुत्र सुगन भाग 1/7 पाँच्या केदार नाबा० पुत्रगण चैनसुख |
| | | | | | | रर० भाई सुगन सुमित्राबाई हटीलीबाई उमिलाबाई कम्भोदाबाई नाबा० पुत्रीया चैनसुख सर० भाई सुगन स० भाग ६/७ जाति जाटव निं० ग्राम शासकीय पटटादार। |
| 4 | 856 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.420 | 0.056 | मु० उमिला बेवा मुन्ना सोमवती नाबा० पुत्री मुन्ना लोकेन्द्र संतोष नाबा० पुत्रगण मुन्ना सर० उमिला मां ख० समान भाग 1/3 रामवती उमेदी पुत्रियां चन्दू जाति जाटव निं० ग्राम 2/3 समान भाग शासकीय पटटादार। |
| 5 | 878 | भूमिरवामी | कृषि भूमि | 0.320 | 0.165 | मंदिर श्री राधाकृष्ण जी का बाके ग्राम कैम्पस कल्यान माफी औकाफ डिपार्ट प्रबंधक लंदोडटर मु० ना०, शासकीय पटटेदार। |
| 6 | 879 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.920 | 0.634 | रामरत्नरूप लेश हरेत भागीरथ हेमराज भलिखान पुत्रगण गंगाधर रामपती बादामी लेखा पुत्रिया गंगाधर जाति रावत निं० ग्राम भूमिस्वामी। |
| 7 | 880 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.420 | 0.048 | तोता पुत्र चुन्नी जाति जाटव पता निं० ग्राम शासकीय पटटेदार। |
| 8 | 881 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.300 | 0.050 | कंचन वेबा रामू लाखन श्रीपति रूपसिंह पुत्रगण रामू कमला विमला पुत्रीया रामू समान भाग जाति जाटव निं० ग्राम शासकीय पटटेदार। |

| | | | | | | |
|--------------------|-----|------------|-----------|--------------|-------|--|
| 9 | 882 | भूमिस्वामी | भूमि | 0.120 | 0.120 | पुत्रगण रामू कमला विमला पुत्रीया रामू समान भाग जाति जाटव निं० ग्राम शासकीय पटटेदार। |
| 10 | 884 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.420 | 0.133 | अमृतलाल अनिलकुमार सुरेश पुत्रगण मुरारीलाल दिमला पुत्री मुरारीलाल समान भाग जाति जाटव निं० ग्राम भूमिस्वामी। |
| 11 | 887 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.420 | 0.106 | बैजन्ती पुत्री भूदरिया पत्नी रत्नलाल जाति जाटव निं० शिवलाल का पुरा, शासकीय पटटेदार। |
| कुल किता 11 | | | | 1.504 | | |

1. यह घोषणा हितबद्ध भगीरथिनां के अक्षेत्रों को सुनाने वाले भूमि अंत्रिक पुनर्वाचस्पत में अन्तिम प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्बद्ध जाति के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित इल द्वारा लिए गए प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन का कारण विरधापित होने वाले संभावित कुटुंबों को संस्था निरंक है, अतः इनके लिए गुनर्वाचस्पतान के क्षेत्र चिह्नित करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
3. सकन भूमि के या नक्त भूमि के लिए जाग में पड़े कोवला, लोह पत्थर, स्लेट, या अन्य खगिजों को लगाने हैं, खनिज और खोनेजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है की परियोजना के निम्न छाया के दौरान दोषे जाने या हटाया या उत्पादन किए जाने वाले व्योग हैं, जो उत्पन्न अवश्यक नहीं हैं।
4. कलक्कर, जिला नियम के कार्यालय। और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायतवाड़ के कायाकल्प नियमों में अर्जुन दिवस का दौरा समय के दौरान ग्राम योजना का नियमित किया जा सकता है।

विशेष :- धारा 40(2) के कायाकल्प के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तरफाल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्दशों के प्रकाष में तथ्यों के परीक्षण समरप्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किया है। यह दूसरी अधिनियम द्वारा दृष्टिकोण से भूमि की प्रावधान का लाभान्व राज नहीं है।

प्र. क्र. 79-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-2017-18-8036-4.—

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 सिहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम-रामपहाड़ी प0ह0क0-34 राठनी0 वृत-04 तहसील -सवलगढ़ उपखण्ड-सवलगढ़ जिला-मुरैना में कुल 0.154 हैक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम-रामपहाड़ी प0ह0क0-34 राठनी0 वृत-04 तहसील- सवलगढ़ उपखण्ड-सवलगढ़ जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

| | | |
|----|----------------|----------------|
| क. | जिला | मुरैना |
| ख. | तहसील | सवलगढ़ |
| ग. | ग्राम | रामपहाड़ी |
| घ. | लगभग क्षेत्रफल | 0.154 हैक्टेयर |

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नलिखित है:-

| क्र. सं. | सर्वे नंबर | स्वामित्व का प्रकार | भूमि का प्रकार | कुल क्षेत्रफल | अर्जन का क्षेत्रफल | हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) |
|----------|------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------|---|
| 1 | 403 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.500 | 0.027 | बुधो पुत्री गज्जे जाति रावत पता निरो ग्राम रामपहाड़ी भूमिस्वामी। |
| 2 | 410 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.200 | 0.127 | लुखुरु पुत्र हीरालाल रामेश्वरी पुत्री हीरालाल समान भाग 8/12 मु0 गया कुआंरी बेवा रामवरन महाराज सिंह पुत्र रामवरन प्रेम रामदेवी पुत्रियां रामवरन समान भाग 4/12 दर भाग 1/4 जाति रावत निरो रामपहाड़ी शिवनारायण प्रीतम पातीराम पुत्रगण रघुनन्दन गुलाबकुअंर बेवा रघुनन्दन बुधो रामरती विमला रेशा पुत्रियां रघुनन्दन समान भाग हिरो 1/4 मुरारी कल्याण पुत्रगण मदनू सोनी कमला पुत्रियां मदनू जाति रावत |

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 वा 30) में उपर्युक्त सम्यक जाव के पश्चात की गयी है।
 2. नियम 4 के अधीन गठित दल हाई रिफोर्म प्रस्तुत की है कि भू-दर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निम्नक है अतः इनके लिए पुनर्वासनस्थापन के क्षेत्र विस्तृत करने का प्रयत्न उद्भूत नहीं होता है।
 3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, रस्ते, या अन्य खनिजों की खाने हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
 4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजन्य) सवलगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि धोजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :—धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है।

इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाष में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धीरा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपर्युक्त लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 10-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-मुरैना-2019-7743

मुरैना, दिनांक 12 जुलाई 2019

{भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 {सहपरिवहित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत}

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्योपुरकलौं रेल्वे छोटा लाईन से बड़ा लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम- पहाड़ी, तहसील- वामौर, उपखण्ड- मुरैना, जिला- मुरैना में कुल रकवा 4.012 है। एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला- मुरैना, तहसील- वामौर के ग्राम- पहाड़ी, प0ह0न0- 00087, राननिवृत्त-08 में उक्त परियोजना के लिये 4.012 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

| क्र. सं. | सर्वे नंबर | स्वामित्व का प्रकार | भूमि का प्रकार | अर्जन का क्षेत्रफल | हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) |
|----------|------------|---------------------|----------------|--------------------|---|
| (1) | (2) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 431 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.031 | पंजाबसिंह उर्फ शिवराम, पूरनसिंह रामहेत पिता पीतमसिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी |
| 2 | 432 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.027 | पंजाबसिंह उर्फ शिवराम, पूरनसिंह रामहेत पिता पीतमसिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी |
| 3 | 435 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.005 | हाकिमसिंह पुत्र हरीराम सावो पुत्री हरीराम जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी जण्डेल कप्तान राजगिरि महेश पिता हरीगिरि कमला नारायणी पुत्रियां हरिगिरि समान 6/16 मुकेश वनिया विनोद पि. केशव समान. 1/16 शीला वेवा पूरन हि. 1/16 दर हि. 1/2 फूलो बेवा सुन्ती हि. 1/2 जाति गुसाई पता निवासी ग्राम अधिपत्य कृषक |
| 4 | 436 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.051 | हाकिमसिंह पुत्र हरीराम सावो पुत्री हरीराम जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी जण्डेल कप्तान राजगिरि महेश पिता हरीगिरि कमला नारायणी पुत्रियां हरिगिरि समान 6/16 मुकेश वनिया विनोद पि. केशव समान. 1/16 शीला वेवा पूरन हि. 1/16 दर हि. 1/2 फूलो बेवा सुन्ती हि. 1/2 जाति गुसाई पता निवासी ग्राम अधिपत्य कृषक |

| | | | | | |
|---|-----|------------|-----------|-------|--|
| 5 | 439 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.073 | रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल समान भाग 1/4 केदार रघुनाथ छोटे पि. हीरासिंह जाति गूठा पता निवासी ग्राम समान 3/4 भाग भूमि स्वामी भूरी राजस्व 1.73 भोगीराम पि. चक्रपान जाति गूठा अधिपत्य कृषक |
| 6 | 440 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.058 | रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल समान भाग 1/6 समान केदार रघुनाथ छोटे पि. हीरासिंह 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पि. रामजीवन समान भाग 1/6 जाति गूठा पता निवासी ग्राम भाग भूमि स्वामी ओंकार पु. आदिराम मंजू कौमेश, रचना पु. आदिराम समान 1/6 भाग भूमि स्वामी |
| 7 | 441 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.063 | रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल समान भाग 1/6 समान केदार रघुनाथ छोटे पि. हीरासिंह 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पि. रामजीवन समान भाग 1/6 जाति गूठा पता निवासी ग्राम भाग भूमि स्वामी ओंकार पु. आदिराम मंजू कौमेश, रचना पु. आदिराम समान 1/6 भाग भूमि स्वामी |
| 8 | 442 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.063 | रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल समान भाग 1/6 समान केदार रघुनाथ छोटे पि. हीरासिंह 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पि. रामजीवन समान भाग 1/6 जाति गूठा पता निवासी ग्राम भाग भूमि स्वामी ओंकार पु. आदिराम मंजू कौमेश, रचना पु. आदिराम समान 1/6 भाग भूमि |
| 9 | 443 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.002 | रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल समान भाग 1/6 समान केदार रघुनाथ छोटे पि. हीरासिंह 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पि. रामजीवन समान |

| | | | | | |
|----|-----|------------|-----------|-------|---|
| | | | | | भाग 1/6 जाति गू ठा पता निवासी ग्राम भाग भूमि स्वामी औंकार पु. आदिराम मंजू कौमेश, रचना पु. आदिराम समान 1/6 भाग भूमि स्वामी |
| 10 | 459 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.060 | रमेश लक्षण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल समान भाग 1/6 समान केदार रघुनाथ छोटे पि. हीरासिंह 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पि. रामजीवन समान भाग 1/6 जाति गू ठा पता निवासी ग्राम भाग भूमि स्वामी औंकार पु. आदिराम मंजू कौमेश, रचना पु. आदिराम समान 1/6 भाग भूमि स्वामी |
| 11 | 461 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.061 | कुशमा पप्पो रुमाली पुत्रीयां रामस्वरूप समान भाग 1/3 अंगूरी बेवा सन्तोषी भूरी बेवा मुन्नेश समान भाग 1/3 कम्पोटर पुत्र बहादुरा भाग 1/3 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी। |
| 12 | 471 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.021 | कुशमा पप्पो रुमाली पुत्रीयां रामस्वरूप समान भाग 1/3 अंगूरी बेवा सन्तोषी भूरी बेवा मुन्नेश समान भाग 1/3 कम्पोटर पुत्र बहादुरा भाग 1/3 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी। |
| 13 | 472 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.024 | बदना, नवलसिंह, जगन्नाथ पिता हरीविलास, रामप्यारी पुत्री हरीविलास जाति गूठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी |
| 14 | 473 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.048 | बलिराम, माताप्रसाद, रामबीर पि. हरिमोहन समान भाग 3/7 शन्ती रामवती सिद्यारबाई अंगूरी पुत्रियां हरिमोहन समान भाग 1/14 दर भाग 1/2 सुन्दर केशव हेमसिंह नरोत्तम पि. धर्मपाल साबो कैलाशी पूत्रियां धर्मपाल समान भ्र 6/14 आशाराम पि. राजाराम शीला मुन्नेश कौमेश कविता पुत्रियां राजाराम स.भा. 1/14 दर भाग 1/2 जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी |
| 15 | 474 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.010 | आशाराम पुत्र राजाराम शीला मुन्नेश कौमेश कविता पुत्री राजाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी |

| | | | | | |
|----|-------|------------|-----------|-------|---|
| 16 | 475 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.081 | बलिराम, माताप्रसाद, रामबीर पि. हरिपोहन समान भाग 3/7 शान्ती रामयेती सिद्यारबाई अंगूरी पुत्रियां हरिमोहन समान भाग 1/14 दर भाग 1/2 सुन्दर केशव हेमसिंह नरोत्तम पि. धर्मपाल साबो कैलाशी पूत्रियां धर्मपाल समान भ्र 6/14 आशाराम पि. राजाराम शीला मुन्नेश कौमेश कविता पूत्रियां राजाराम स.भा. 1/14 दर भाग 1/2 जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी |
| 17 | 581 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.082 | पहलवानसिंह पुत्र पीतमसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी |
| 18 | 582 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.100 | सुनील, किशना ना.वा.पि. रामहेत गुडिया नावा. पुत्री रामहेत सर मॉ. भगवती बेबा रामहेत समान भाग 1/8 बन्टी बासदेव नरेश पि. रोशन गुडडी सरोज सुनीता पुत्रियां रोशन प्रेमाबाई बेबा रोशन समान भाग 7/8 दर भाग 1/2 कल्ला भूरा प्रमोद पप्पू पि. रामभरोषी समान भाग 1/2 जाति बैरागी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी |
| 19 | 585/1 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.115 | बिजेन्द्रसिंह राजकिशोर भारत रामनारायण पुत्तसिंह पि. सुल्तानसिंह प्रागो बेवा सुल्तानसिंह गीता कम्पूरी पुत्रियां सुल्तानसिंह स.भा. 1/2 शोभाराम नथी पुत्रगण सूबालाल ठकुरो पुत्री सूबालाल स०भाग 3/8 मुन्नी बेवा कल्ली भोपा उर्फ भूपेन्द्र खैरु विष्णु पि. कल्ली स.भा 1/8 दर भाग 1/2 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी |
| 20 | 585/2 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | | बिजेन्द्रसिंह राजकिशोर भारत रामनारायण पुत्तसिंह पि. सुल्तानसिंह प्रागो बेवा सुल्तानसिंह गीता कम्पूरी पुत्रियां सुल्तानसिंह स.भा. 1/2 शोभाराम नथी पुत्रगण सूबालाल ठकुरो पुत्री सूबालाल स०भाग 3/8 मुन्नी बेवा कल्ली भोपा उर्फ भूपेन्द्र खैरु विष्णु पि. कल्ली स.भा 1/8 दर भाग 1/2 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी |
| 21 | 705 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.007 | केशवसिंह हि. 0.178/.763 कलियानसिंह हि. रकवा 334/.763 रानाजीत हि रकवा 251/.763 पुत्रगण औतारसिंह जाति गूठा. |

| पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | | | | | |
|------------------------------|------|------------|-----------|-------|---|
| 22 | 706 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.081 | दशरथ माधो कप्तानसिंह नवलसिंह जवरसिंह पि. कुढेरसिंह आनन्दी बेवा विशाल समान भाग 6/7 बीरेन्द्र बैजनाथ रामधन पि. रामस्वरूप रामो बेवा रामस्वरूप गीता पुत्रीरामस्वरूप जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम समान 1/7 भाग भूमिस्वामी |
| 23 | 720 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.082 | हाकिमसिंह पुत्र हरीराम सावो पुत्री हरीराम जाति गू ठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी |
| 24 | 1994 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.083 | रामनाथ पिता पीतमसिंह जाति गू ठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी |
| 25 | 1995 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.031 | कलियान पुत्र होतम साधो सनेही पुत्री होतम जावित्री बेवा होतम 1/2 भूमि स्वामी आशाराम लज्जाराम सियाराम बैजनाथ पिता माधौसिंह समान भाग 24/50 बा० लाशी पुत्री माधौसिंह भाग 1/50 जाति गू ठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी |
| 26 | 1996 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.010 | जसवंत भूरा कृष्णा पिता मूंगाराम भूरी रामा मीरा पुत्री मूंगाराम मु. बतसिया बेवा मूंगाराम 1/2 जीवाराम पुत्र मूलाराम 1/2 जाति गूठा० पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी |
| 27 | 1998 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.042 | मु. कलावती बेवा सोनेराम 1/2 जसमंत भूरासिंह कृष्णा पिता मूंगाराम भूरी रामा मीरा पुत्रीं मूंगाराम मु बतसिया बेवा मूंगाराम जाति गूठा० पता निवासी ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी |
| 28 | 2001 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.015 | केदार जनकसिंह पि खुटटी समान 1/2 जबरसिंह कल्यान नरेन्द्र पि. देबीसिंह रामबती मुन्नी लाली पुत्रियां देबीसिंह समान 1/2 जाति गूठा० पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी |
| 29 | 2006 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.005 | बंशी पुत्र मूला जाति मेहतर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी। |
| 30 | 2022 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.027 | माताप्रसाद उदयबीर बीरो मल खान पि. बालमकुन्द जमुनी पुत्री बालमकुन्द समान भाग 1/12 मोहरसिंह पुत्र साहवसिंह लक्ष्मी पुत्री साहवसिंह समान भाग 1/12 दिलीप रूपसिंह जयभान उद्धौ पिता रामनरेश रचना मधु पुत्रियां रामनरेश समान भाग 1/12 दर भाग 1/3 रामहेत कृष्णा हरेन्द्र पिता |

| | | | | | | |
|----|-----------------|------------|-----------|-------|--|--|
| | | | | | | रामसरूप हलुकी वेवा रामसरूप मीरा पुत्री रामसरूप समान भाग 5/18 मु. कोमेश वेवा देवेन्द्र पंकज नावा पुत्र देवेन्द्र जाति गुर्जर पता सर मा.खुद समान भाग 1/18 दर भाग 1/3 कमलाबाई वेवा केदारसिंह भूमि स्वामी परिमाल सूरजभान रामलखन पुत्रगण केदारसिंह सुनीता पुत्री केदारसिंह समान भाग 1/3 निवासी ग्राम नारायण पंत्र कलुआ जाति बा. पता निवासी ग्राम अधिपत्य कुषक |
| 31 | 2023 2024 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.127 | राजाराम विजयसिंह पुत्र कदमसिंह 1/3 समान भाग पंजाबसिंह उर्फ शिवराम पूरन रामहेत पुत्र पीतम लक्ष्मी पुत्री पीतम समान 1/3 रविन्द्र लाखन पि. कोकसिंह समान भाग 1/4 कोमेश मिथलेश पुत्रियां कोकसिंह समान भाग 1/12 दर भाग 1/3 जाति गू. ठा. निवासी ग्राम भूमि स्वामी | |
| 32 | 2025/1 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.015 | रामनाथ पिता पीतमसिंह जाति गू.ठा० पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | |
| 33 | 2026/1 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.044 | सुन्दरसिंह पिता रामसिंह जाति गु०ठा० पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | |
| 34 | 2026/2 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.047 | मोहकमसिंह पुत्र रमेशसिंह नि. मेला ग्राउण्ड दुल्लपुर ग्वालियर जाति गुर्जर भूमि स्वामी | |
| 35 | 2027 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.243 | जीवाराम पुत्र मूलाराम 0.559 कलावती वेबा सोनेराम रकवा 0.248 जसवंत भूरा कृष्णा पिता मूंगाराम भूरी रामा मीरा पुत्रियां मूंगाराम मु बतसिया बेबा मूंगाराम भा० 0.249 बेजो पुत्री देवी सिंह रकवा 0.062 जाति गु०ठा० पता नि०. ग्राम भूमि स्वामी | |
| 36 | 2100/1 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.196 | रामवरनसिंह पु नवलसिंह जाति गू ठा० पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | |
| 37 | 2101 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.055 | रामवरनसिंह पु नवलसिंह जाति गू ठा० पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | |
| 38 | 2102 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.041 | सोनू उर्फ उर्मिला बेबा श्री निवास दीपेन्द्र जीतेन्द्र नावा पि श्री निवास ज्योति नावा पुत्री श्री निवास सर मा० खुद जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी | |
| 39 | 2115/1 मिन-1 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.537 | राजाराम पुत्र कदमसिंह जाति गू० ठा० पता | |

| | | | | | |
|----|--------|------------|-----------|-------|--|
| | | | | | निवासी ग्राम भूमिस्वामी |
| 40 | 2115/2 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | | जसमंत सियाराम पिता माधौसिंह फूजो पुत्री माधौसिंह समान भाग 1/2 सिरदार चौबे सिंह रामखिलाडी पिता पन्नू रामकली रामप्रकाशी रामवेटी शीला संतो पुत्रियां पन्नू धनवंती बेवा पन्नू स०भा० 1/2 जाति ग०ठा० पता सा० देह भूमिस्वामी |
| 41 | 2116/1 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.075 | भारत पिता सरनाम रकवा 126/1862 राकेश अल्ली पिता सरनाम रामा पुत्री सरनाम समान भाग 1396/1862 सन्तोदेवी पल्ली राजाराम कमला पल्ली विजयसिंह समान भाग 340/1862 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी |
| 42 | 2116/2 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.060 | प्रकाश महेन्द्र पिता हजारी गुडडी पुत्री हजारी जाति ग०ठा० पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी |
| 43 | 2116/3 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.110 | वकीला पुत्र हजारी साबो वेवा हजारी सिया पुत्री हजारी समान भाग 1524/1694 सन्तो देवी पल्ली राजाराम कमला पल्ली विजय सिंह समान भाग 170/1694 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी |
| 44 | 2168 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.119 | राजाराम विजयसिंह पुत्र कदमसिंह 1/2 समान रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल पता निवासी ग्राम समान भाग 1/6 समान भूमि स्वामी केदार रघुनाथ छोटे पि. हीरासिंह 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पि. रामजीवन समान भाग 1/6 स्वामी ओंकार पु. आदिराम मंजू कौमेश, रचना पु. आदिराम समान 1/6 भाग दर भाग 1/2 भूमि स्वामी |
| 45 | 2173 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.080 | रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल पता निवासी ग्राम समान भाग 1/6 समान भूमि स्वामी केदार रघुनाथ छोटे पि. हीरासिंह 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पि. रामजीवन समान भाग 1/6 स्वामी ओंकार पु. आदिराम मंजू कौमेश, रचना पु. आदिराम समान 1/6 भाग भूमि स्वामी |

| | | | | | |
|----|------|------------|-----------|-------|--|
| 46 | 2175 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.025 | रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल पता निवासी ग्राम समान भाग 1/6 समान भूमि स्वामी केदार रघुनाथ छोटे पि. हीरासिंह 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पि. रामजीवन समान भाग 1/6 स्वामी ओंकार पु. आदिराम मंजू कौमेश, रचना पु. आदिराम समान 1/6 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.81 |
| 47 | 2176 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.102 | राजाराम विजयसिंह पुत्र कदमसिंह 1/2 समान रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल पता निवासी ग्राम समान भाग 1/6 समान भूमि स्वामी केदार रघुनाथ छोटे पि. हीरासिंह 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पि. रामजीवन समान भाग 1/6 स्वामी ओंकार पु. आदिराम मंजू कौमेश, रचना पु. आदिराम समान 1/6 भाग दर भाग 1/2 भूमि स्वामी भू राजस्व 2.00 |
| 48 | 2177 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.121 | राजाराम विजयसिंह पुत्र कदमसिंह 1/3 रविन्द्र लाखन पि. कोकसिंह समान 1/4 कौमेश मिथलेश पि. कोकसिंह समान भाग 1/12 रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल पता निवासी ग्राम समान भाग 1/6 समान भूमि स्वामी केदार रघुनाथ छोटे पुत्र हीरासिंह 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पुत्र. रामजीवन समान भाग 1/6 स्वामी ओंकार पु. आदिराम मंजू कौमेश, रचना पुत्रियां आदिराम समान 1/6 भाग दर भाग 1/3 जाति गुर्जर भूमि स्वामी |
| 49 | 2179 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.006 | लाखन रविन्द्र पि. कोकसिंह समान भाग 3/5 कौमेश मिथलेश पुत्रियां कोकसिंह समान भाग 1/5 कमला पुत्री भीकमसिंह भाग 1/5 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 0.56 |
| 50 | 2180 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.156 | राजाराम विजयसिंह पुत्र कदमसिंह 1/3 रविन्द्र लाखन पि. कोकसिंह समान 1/4 कौमेश मिथलेश पि. कोकसिंह समान भाग |

| | | | | | | |
|----------|--------|------------|-----------|-------|--|--|
| | | | | | | 1/12 रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पि जण्डेल सरोज गीता मधु पि. जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल पता निवासी ग्राम समान भाग 1/6 समान भूमि स्वामी केदार रघुनाथ छोटे पुत्र हीरासिंह 3/6 समान रामबीरसिंह गजेन्द्रसिंह पुत्र. रामजीवन समान भाग 1/6 स्वामी ओंकार पु. आदिराम मंजू कौमेश, रचना पुत्रियां आदिराम समान 1/6 भाग दर भाग 1/3 जाति गुर्जर भूमि स्वामी |
| 51 | 2181 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.150 | | जीवाराम पुत्र मूलाराम 0.559 कलाबती वेवा सोनेराम हि 0.248 जसवंत भूरा कृष्णा पि. मूंगाराम भूरी रामा मीरा पुत्रियां मूंगाराम मु. बतसिया बेवा मूंगाराम स.भा. 0.062 जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामि भू राजस्व 3.81 |
| 52 | 2183/1 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.056 | | जसवन्तसिंह पुत्र मूंगाराम जाति गू ठा. 0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 2. 25 |
| 53 | 2183/2 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.055 | | जसवन्तसिंह पुत्र मूंगाराम जाति गू ठा. 0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 2. 25 |
| 54 | 2184 | भूमिस्वामी | कृषि भूमि | 0.068 | | पातीराम पिता शंकरसिंह 1/6 जाति गू ठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 3.62 |
| 55 | 2020 | भूमिस्वामी | मंदीर | 0.039 | | मठ श्री महादेवजी का पुख्ता माफी औकाफ डिपा. प्रबंधक कलेक्टर महोदय जिला मुरैना |
| 56 | 2182 | भूमिस्वामी | मंदीर | 0.114 | | मठ श्री महादेव जी का पुख्ता माफी औकाफ डिपा. प्रबंधक कलेक्टर महो. मुरैना भूमि स्वामी |
| 57 | 2190 | भूमिस्वामी | मंदीर | 0.013 | | मठ श्री महादेव जी का पुख्ता माफी औकाफ डिपा. प्रबंधक कलेक्टर महो. मुरैना भूमि स्वामी |
| कुल किता | 57 | | | 4.012 | | |

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है। सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कार्यालयीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वैधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष :— धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू—अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
तहसील-रामनगर, जिला-सतना मध्यप्रदेश**

क्रमांक 456-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

रामनगर, दिनांक 18 सितम्बर 2019

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इवकीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

| क्रमांक | ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) |
|---------|---|-----------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ग्राम-पिपरी उत्तर, पटवारी हल्का-गंगासागर, रा.नि.म.-रामनगर, तहसील-रामनगर | 15/356/1 | 0.349 | |
| 2 | | 15/356/2 | 0.182 | |
| 3 | | 15/356/3/क | 0.267 | |
| 4 | | 15/356/3/क/0001 | 85.000 | |
| 5 | | 15/356/3/ख | 0.267 | |
| 6 | | 15/356/3/ग | 0.267 | |
| 7 | | 15/356/3/घ | 0.267 | |
| 8 | | 15/356/4/क | 0.267 | |
| 9 | | 15/356/4/घ | 0.267 | |
| 10 | | 15/1 | 0.061 | |
| 11 | | 15/2 | 0.226 | |
| 12 | | 15/3 | 0.413 | |
| 13 | | 15/4/क | 0.351 | |
| 14 | | 15/4/ख | 0.351 | |
| 15 | | 15/4/ग | 0.350 | |
| 16 | | 15/4/घ | 0.351 | |
| 17 | | 15/5/क | 0.351 | |
| 18 | | 15/5/ख | 0.350 | |
| | (अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- | 18 किता | 89.937 | 0.087 |
| '1 | | 11 | 0.295 | 0.003 |
| '2 | | 5 | 0.606 | 0.002 |
| | (ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग- | 2 किता | 0.901 | 0.005 |
| | अ + ब का योग- | कुल 20 किता | 90.838 | 0.092 |

क्रमांक 457-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप—ख**(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)**

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इककीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

| क्रमांक | ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) |
|---------|--|--------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ग्राम-टीकरखुर्द, पटवारी हल्का-93 बरा खुर्द, रा.नि.म. भदनपुर उ.प., तहसील-मैहर | 408/1/क/1 | 1.045 | 0.026 |
| 2 | | 408/1/क/2 | 1.463 | |
| 3 | | 408/2/क | 0.627 | |
| 4 | | 408/2/ख | 1.045 | |
| 5 | | 408/2/ग | 0.125 | |
| 6 | | 408/2/घ | 0.105 | |
| 7 | | 408/3/क | 0.105 | |
| 8 | | 408/3/ख | 0.105 | |
| 9 | | 408/3/ग | 0.105 | |
| 10 | | 414/1 | 0.716 | |

| | | | |
|----|----------------------------------|-------------|--------|
| 11 | 414/2/1 | 0.258 | 0.033 |
| 12 | 414/2/2 | 0.458 | |
| 13 | 412/1/1 | 0.186 | |
| 14 | 412/1/2 | 0.186 | |
| 15 | 412/1/3 | 0.023 | |
| 16 | 412/1/4 | 0.023 | |
| 17 | 412/2 | 0.146 | |
| 18 | 369/1 | 0.836 | |
| 19 | 369/2 | 1.040 | |
| 20 | 369/3 | 0.486 | |
| 21 | 368/1 | 0.272 | 0.015 |
| 22 | 368/2 | 0.439 | |
| 23 | 367 | 0.125 | 0.002 |
| 24 | 366/1 | 1.254 | 0.005 |
| 25 | 366/2 | 0.690 | |
| 26 | 371 | 0.084 | 0.002 |
| 27 | 372 | 2.633 | 0.026 |
| 28 | 374 | 1.620 | 0.026 |
| 29 | 359 | 0.920 | 0.016 |
| 30 | 358 | 0.920 | 0.017 |
| 31 | 344/1 | 0.387 | 0.020 |
| 32 | 344/2 | 0.387 | |
| 33 | 344/3 | 0.396 | |
| 34 | 342 | 1.506 | 0.017 |
| 35 | 340 | 0.512 | 0.018 |
| 36 | 339/1 | 1.672 | 0.023 |
| 37 | 339/2/क | 1.149 | |
| 38 | 339/2/ख | 0.565 | |
| 39 | 331 | 1.515 | 0.002 |
| | (अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- | 39 किता | 26.129 |
| 1 | | 428 | 0.002 |
| 2 | | 373 | 0.018 |
| 3 | | 332 | 0.021 |
| 4 | | 333 | 0.003 |
| | (ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग- | 4 किता | 2.707 |
| | | कुल 43 किता | 28.836 |
| | | | 0.319 |

क्रमांक 458-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख
(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इकीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

| क्रमांक | ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) |
|---------|---|--------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ग्राम-वम्हनाड़ी, पटवारी हल्का-वम्हनाड़ी, रा.नि.म.-बड़वार, तहसील-रामनगर | 480/1 | 2.833 | |
| 2 | | 480/2/क | 1.416 | |
| 3 | | 480/2/क/2 | 1.416 | |
| 4 | | 480/2/क/500 | 1.000 | |
| 5 | | 480/2/ख | 1.417 | 0.124 |
| 6 | | 480/3/क | 4.130 | |
| 7 | | 480/3/ख | 4.130 | |
| 8 | | 480/3/ग/1 | 1.376 | |
| 9 | | 480/3/ग/2 | 1.375 | |
| 10 | | 480/3/ग/3 | 1.375 | |
| 11 | | 484/1 | 0.649 | |
| 12 | | 484/2 | 0.650 | 0.044 |
| 13 | | 484/3 | 0.650 | |
| 14 | | 484/4 | 0.649 | |
| 15 | | 489 | 0.947 | 0.026 |
| 16 | | 490/1 | 2.233 | |
| 17 | | 490/2 | 2.265 | |
| 18 | | 490/3 | 2.893 | 0.074 |
| 19 | | 490/4/क | 2.027 | |
| 20 | | 490/4/ख | 0.809 | |
| 21 | | 490/4/ग | 0.809 | |
| 22 | | 469/1 | 3.678 | |
| 23 | | 469/2 | 0.405 | 0.047 |
| 24 | | 469/3/क | 1.214 | |
| 25 | | 469/3/ख | 1.023 | |

| | | | |
|----|-------------|-------|-------|
| 26 | 469/4 | 4.476 | |
| 27 | 470/737/1 | 0.672 | 0.038 |
| 28 | 470/737/2 | 1.133 | |
| 29 | 467/1 | 0.263 | |
| 30 | 467/2 | 2.291 | 0.039 |
| 31 | 467/3 | 1.473 | |
| 32 | 467/4 | 0.700 | |
| 33 | 460/1 | 0.680 | 0.032 |
| 34 | 460/3 | 0.064 | |
| 35 | 460/4 | 0.064 | |
| 36 | 460/5/1 | 0.328 | |
| 37 | 460/6 | 0.202 | |
| 38 | 459 | 0.437 | 0.022 |
| 39 | 459/1 | 0.107 | |
| 40 | 459/2/क | 0.165 | |
| 41 | 459/2/ख | 0.161 | |
| 42 | 459/6/ख | 0.161 | |
| 43 | 456/1 | 0.024 | 0.005 |
| 44 | 456/3 | 0.176 | |
| 45 | 456/4 | 0.174 | |
| 46 | 456/5 | 0.058 | |
| 47 | 456/6 | 0.404 | |
| 48 | 457 | 0.069 | 0.003 |
| 49 | 457/1 | 0.036 | |
| 50 | 458/1 | 0.048 | 0.004 |
| 51 | 458/3 | 0.016 | |
| 52 | 458/5/1 | 0.012 | |
| 53 | 458/5/2 | 0.030 | |
| 54 | 458/5/3 | 0.014 | |
| 55 | 458/6/क | 0.036 | |
| 56 | 458/6/ख | 0.004 | |
| 57 | 449/1 | 0.790 | 0.060 |
| 58 | 449/2 | 0.790 | |
| 59 | 449/3 | 0.786 | |
| 60 | 449/4 | 0.790 | |
| 61 | 449/5 | 0.786 | |
| 62 | 449/6 | 1.214 | |
| 63 | 505/1/1/क | 0.494 | 0.048 |
| 64 | 505/1/2/क | 0.870 | |
| 65 | 505/1/3/क/1 | 0.597 | |
| 66 | 505/1/3/क/2 | 0.597 | |
| 67 | 505/1/3/क/3 | 0.320 | |
| 68 | 505/1/5/क | 1.497 | |
| 69 | 505/1/6/क | 1.800 | |
| 70 | 505/1/7/क/1 | 1.024 | |

| | | | |
|-----|-------------|-------|-------|
| 71 | 505/1/7/क/2 | 0.923 | |
| 72 | 505/1/7/क/3 | 0.923 | |
| 73 | 505/1/7/ख | 0.129 | |
| 74 | 505/1/क/1 | 0.494 | |
| 75 | 505/1/क/3 | 1.497 | |
| 76 | 505/1/क/4 | 1.497 | |
| 77 | 505/1/क/5 | 1.497 | |
| 78 | 505/1/क/6 | 1.800 | |
| 79 | 505/1/क/7 | 2.870 | |
| 80 | 505/1/ख/1 | 0.020 | |
| 81 | 505/1/ख/3 | 0.073 | |
| 82 | 505/1/ख/4 | 0.073 | |
| 83 | 505/1/ख/5 | 0.073 | |
| 84 | 505/1/ख/6 | 0.081 | |
| 85 | 505/1/ख/7 | 0.129 | |
| 86 | 505/2 | 0.121 | |
| 87 | 67/1 | 0.065 | |
| 88 | 67/2 | 0.040 | |
| 89 | 67/3 | 0.061 | 0.004 |
| 90 | 67/4 | 0.040 | |
| 91 | 67/5 | 0.040 | |
| 92 | 69/1 | 0.846 | |
| 93 | 69/1/क | 0.530 | |
| 94 | 69/1/ख | 0.316 | 0.016 |
| 95 | 69/2 | 0.304 | |
| 96 | 69/3 | 0.304 | |
| 97 | 69/4 | 0.308 | |
| 98 | 445/1 | 0.312 | |
| 99 | 445/2 | 0.169 | 0.010 |
| 100 | 445/3 | 0.169 | |
| 101 | 445/4 | 0.169 | |
| 102 | 70/1 | 0.089 | |
| 103 | 70/2 | 0.093 | 0.003 |
| 104 | 70/3 | 0.089 | |
| 105 | 71/1/क | 1.335 | |
| 106 | 71/1/ख | 0.065 | |
| 107 | 71/2 | 0.166 | 0.003 |
| 108 | 71/3 | 0.166 | |
| 109 | 71/4 | 0.166 | |
| 110 | 72/1 | 0.498 | |
| 111 | 72/2 | 0.139 | 0.034 |
| 112 | 72/3 | 0.133 | |
| 113 | 72/4 | 0.133 | |
| 114 | 76/1/1 | 0.417 | |
| 115 | 76/1/2 | 0.262 | 0.028 |

| | | | |
|-----|-------------|-------|-------|
| 116 | 76/2 | 0.069 | |
| 117 | 79 | 0.344 | 0.014 |
| 118 | 78/1/1/क/1 | 0.341 | |
| 119 | 78/1/1/क/2 | 0.101 | |
| 120 | 78/1/2/क/1 | 0.437 | |
| 121 | 78/1/2/क/2 | 0.231 | 0.006 |
| 122 | 78/1/2/क/3 | 0.105 | |
| 123 | 78/1/ख | 0.148 | |
| 124 | 78/2 | 0.024 | |
| 125 | 123/1/1 | 0.040 | |
| 126 | 123/1/2 | 0.264 | 0.018 |
| 127 | 123/2 | 0.081 | |
| 128 | 125/1 | 0.020 | |
| 129 | 125/2 | 0.020 | 0.005 |
| 130 | 124/1 | 0.226 | |
| 131 | 124/2/क | 0.121 | |
| 132 | 124/2/ख | 0.105 | |
| 133 | 126/1 | 0.263 | |
| 134 | 126/2 | 0.160 | 0.002 |
| 135 | 126/3 | 0.425 | |
| 136 | 128/1/क | 0.040 | |
| 137 | 128/1/ख | 0.036 | |
| 138 | 128/1/ग | 0.036 | 0.007 |
| 139 | 128/1/घ | 0.036 | |
| 140 | 128/2 | 0.040 | |
| 141 | 129/1/क | 0.012 | |
| 142 | 129/1/ख | 0.045 | |
| 143 | 129/1/ग | 0.045 | 0.003 |
| 144 | 129/1/घ मेड | 0.049 | |
| 145 | 129/2 | 0.045 | |
| 146 | 131/1 | 0.388 | |
| 147 | 131/2 | 0.141 | 0.018 |
| 148 | 131/3 | 0.141 | |
| 149 | 147/1 | 0.049 | |
| 150 | 147/2 | 0.121 | 0.004 |
| 151 | 132/1 मेड | 0.069 | |
| 152 | 132/2 मेड | 0.028 | 0.002 |
| 153 | 132/3 | 0.028 | |
| 154 | 145/1/क | 0.097 | |
| 155 | 145/1/ख | 0.490 | |
| 156 | 145/1/ग | 0.490 | |
| 157 | 145/1/घ | 0.490 | 0.027 |
| 158 | 145/2 | 0.390 | |
| 159 | 145/2/ख | 0.376 | |
| 160 | 145/3 | 0.490 | |

| | | | |
|----------------------------------|---------|--------------|---------|
| 161 | 144/1/क | 0.028 | |
| 162 | 144/1/ख | 0.028 | |
| 163 | 144/1/ग | 0.028 | 0.003 |
| 164 | 144/2 | 0.024 | |
| 165 | 144/3 | 0.024 | |
| 166 | 180 | 0.866 | 0.030 |
| 167 | 179/1 | 0.291 | |
| 168 | 179/2 | 0.202 | 0.008 |
| 169 | 179/3 | 0.089 | |
| 170 | 181 | 0.223 | 0.004 |
| 171 | 183/1/क | 0.352 | |
| 172 | 183/1/ख | 0.121 | 0.024 |
| 173 | 183/2 | 0.353 | |
| 174 | 184 | 0.032 | 0.001 |
| 175 | 187/1 | 0.008 | |
| 176 | 187/2 | 0.008 | |
| 177 | 187/3 | 0.008 | 0.004 |
| 178 | 187/4 | 0.077 | |
| 179 | 188/1 | 0.028 | |
| 180 | 188/2 | 0.547 | 0.021 |
| 181 | 188/2/क | 0.061 | |
| 182 | 188/2/ख | 0.117 | |
| 183 | 207/1 | 0.028 | |
| 184 | 207/2 | 0.113 | |
| 185 | 207/3 | 0.032 | 0.004 |
| 186 | 207/4 | 0.053 | |
| 187 | 207/5 | 0.045 | |
| 188 | 208/1/क | 0.056 | |
| 189 | 208/1/ख | 0.104 | |
| 190 | 208/2 | 0.474 | |
| 191 | 208/3 | 0.185 | 0.057 |
| 192 | 208/4 | 0.181 | |
| 193 | 208/5 | 0.181 | |
| 194 | 208/6 | 0.506 | |
| 195 | 210/1 | 0.040 | |
| 196 | 210/2 | 0.040 | |
| 197 | 210/3 | 0.040 | 0.003 |
| 198 | 210/4 | 0.036 | |
| 199 | 211/1 | 0.113 | |
| 200 | 211/2 | 0.113 | |
| 201 | 211/3 | 0.089 | |
| 202 | 211/4 | 0.073 | 0.021 |
| 203 | 211/5 | 0.073 | |
| 204 | 211/6 | 0.121 | |
| 205 | 211/7 | 0.121 | |
| (अ) निजी पद्धते की भूमि का योग- | | 205 किता | 101.855 |
| | | | 0.974 |
| 1. | | 481 | 0.134 |
| 2. | | 447 | 0.073 |
| 3 | | 38 | 1.825 |
| 4 | | 209 | 0.279 |
| (ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग- | | 4 किता | 2.311 |
| अं+ ब का योग- | | कुल 209 किता | 104.166 |
| | | | 1.003 |

क्रमांक 459-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट विछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट विछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इकोस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट विछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

| क्रमांक | ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट विछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) |
|---------|-----------------------------------|--------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ग्राम—गोदहा, | 84/1 | 0.263 | |
| 2 | पटवारी हल्का—वावुपुर, | 84/2/क | 0.280 | 0.029 |
| 3 | रा.नि.मं.—बड़वार, तहसील—रामनगर | 84/2/ख | 0.286 | |
| 4 | | 83/1/क | 0.808 | |
| 5 | | 83/1/ख | 0.306 | 0.032 |
| 6 | | 83/2 | 0.371 | |
| 7 | | 86/1/क | 0.404 | |
| 8 | | 86/1/ख | 0.143 | 0.021 |
| 9 | | 86/2 | 0.182 | |
| 10 | | 87 | 1.060 | 0.023 |
| 11 | | 91/1 | 0.190 | |
| 12 | | 91/2 | 0.194 | 0.015 |
| 13 | | 90/1/क | 0.234 | |
| 14 | | 90/1/ख | 0.460 | |
| 15 | | 90/1/ख/2 | 0.230 | 0.013 |
| 16 | | 90/2/क | 0.124 | |
| 17 | | 90/2/ख | 0.124 | |
| 18 | | 94/1/क/1 | 0.384 | |
| 19 | | 94/1/क/2 | 0.647 | 0.046 |
| 20 | | 94/1/ख | 0.515 | |
| 21 | | 99/1/क | 0.152 | |
| 22 | | 99/1/ख | 0.809 | 0.008 |
| 23 | | 99/2 | 0.480 | |
| 24 | | 95/1 | 0.392 | 0.006 |
| 25 | | 95/2 | 0.401 | 0.030 |
| 26 | (अ) निजी पट्टे की भूमि का योग— | 67 | 0.963 | 0.025 |
| | | 26 किता | 10.402 | 0.248 |
| 1 | | 96 | 0.235 | 0.004 |
| 2 | | 94/2 | 0.077 | 0.007 |
| 3 | | 33 | 0.458 | 0.003 |
| | (ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग— | 3 किता | 0.770 | 0.014 |
| | क + ब का योग— | कुल 29 किता | 11.172 | 0.262 |

क्रमांक 460, भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इकीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

| सं.क्र. | ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) |
|---------|---|--------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ग्राम-पिपरी कोठार, पटवारी हल्का-गंगासागर, रा.नि.म.-रामनगर, तहसील-रामनगर | 8/1/क | 0.081 | 0.068 |
| 2 | | 8/1/ख | 1.004 | |
| 3 | | 8/1/ग | 0.554 | |
| 4 | | 8/2/1 | 0.546 | |
| 5 | | 8/2/2 | 0.546 | |
| 6 | | 8/2/3 | 0.546 | |
| 7 | | 8/3/1 | 0.546 | |
| 8 | | 8/3/2 | 0.546 | |
| 9 | | 8/3/3 | 0.547 | |
| 10 | | 7/1/क | 0.418 | 0.027 |
| 11 | | 7/1/ख | 0.418 | |
| 12 | | 7/1/ग | 0.419 | |
| 13 | | 7/2/क | 0.478 | |
| 14 | | 7/2/ख | 0.433 | |
| 15 | | 7/3/1 | 0.068 | |
| 16 | | 7/3/2 | 0.067 | |
| 17 | | 7/3/3 | 0.067 | 0.020 |
| 18 | | 6/1/क | 0.133 | |
| 19 | | 6/1/ख | 0.065 | |
| 20 | | 6/1/ग | 0.069 | |
| 21 | | 6/2/क | 0.089 | |
| 22 | | 6/2/ख | 0.089 | |
| 23 | | 6/2/ग | 0.093 | |
| 24 | | 6/3/1 | 0.133 | |
| 25 | | 6/3/2 | 0.134 | |
| 26 | | 6/4 | 0.267 | |

| | | | |
|----|-------------------|--------|-------|
| 27 | 5/1/1 | 11.306 | |
| 28 | 5/1/2 | 1.011 | |
| 29 | 5/1/3 | 1.011 | |
| 30 | 5/1/4 | 4.049 | |
| 31 | 5/2/क/1 | 0.265 | |
| 32 | 5/2/क/2 | 0.132 | |
| 33 | 5/2/क/3 | 0.133 | |
| 34 | 5/2/ख | 0.534 | |
| 35 | 5/2/ग | 0.530 | |
| 36 | 5/2/घ/1 | 0.265 | |
| 37 | 5/2/घ/2 | 0.265 | 0.023 |
| 38 | 5/3 | 0.809 | |
| 39 | 5/4/1/क | 0.243 | |
| 40 | 5/4/1/ख | 0.162 | |
| 41 | 5/4/2/क | 0.244 | |
| 42 | 5/4/क/2 | 0.080 | |
| 43 | 5/5/क | 0.671 | |
| 44 | 5/5/ख | 0.679 | |
| 45 | 5/5/ग | 0.676 | |
| 46 | 5/6 | 0.809 | |
| 47 | 5/6/क | 0.486 | |
| 48 | 5/6/ख | 0.323 | |
| 49 | 5/111/1 | 0.143 | |
| 50 | 5/111/2 | 0.143 | 0.001 |
| 51 | 5/111/3 | 0.143 | |
| 52 | 5/109 | 1.303 | 0.020 |
| 53 | 4/1/क | 1.821 | |
| 54 | 4/1/ख | 0.910 | |
| 55 | 4/1/ग | 0.911 | |
| 56 | 4/2/1 | 1.086 | |
| 57 | 4/2/1/क | 0.680 | |
| 58 | 4/2/1/ख | 0.406 | |
| 59 | 4/2/2 | 0.227 | |
| 60 | 4/2/2/1 | 0.018 | |
| 61 | 4/2/2/2 | 0.019 | |
| 62 | 4/2/2/3 | 0.019 | |
| 63 | 4/2/2/4 | 0.057 | |
| 64 | 4/2/2/5 | 0.057 | |
| 65 | 4/2/2/6 | 0.057 | 0.065 |
| 66 | 4/2/3/1 | 0.004 | |
| 67 | 4/2/3/2 | 0.015 | |
| 68 | 4/2/4 | 0.085 | |
| 69 | 4/2/5 | 0.085 | |
| 70 | 4/2/6 | 0.101 | |
| 71 | 4/2/7 | 0.202 | |
| 72 | 4/2/8/क | 0.101 | |
| 73 | 4/2/8/ख | 0.101 | |
| 74 | 4/2/8/95401 | 0.202 | |
| 75 | 4/3/1 | 0.873 | |
| 76 | 4/3/2 | 0.874 | |
| 77 | 4/4/क/1/0001/0001 | 0.122 | |
| 78 | 4/4/क/1/0001/0002 | 0.162 | |

| | | | |
|---------------------------------|-------------|--------------|-------|
| 79 | | 4/4/क/1/0002 | 0.445 |
| 80 | | 4/4/क/2 | 0.080 |
| 81 | | 4/4/ख | 0.405 |
| 82 | | 4/4/ग | 0.405 |
| 83 | | 4/5/1 | 0.101 |
| 84 | | 4/5/2 | 0.101 |
| 85 | | 4/5/3 | 0.101 |
| 86 | | 4/5/4 | 0.202 |
| 87 | | 4/5/5 | 0.101 |
| 88 | | 4/6/1 | 0.101 |
| 89 | | 4/6/2 | 0.202 |
| 90 | | 4/6/3 | 0.101 |
| 91 | | 4/6/4 | 0.101 |
| 92 | | 4/6/5 | 0.101 |
| (अ) निजी पट्टे की भूमि का योग— | 92 किता | 46.513 | 0.224 |
| 1 | 1 | 0.664 | 0.003 |
| (ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग— | 1 किता | 0.664 | 0.003 |
| | कुल 93 किता | 47.177 | 0.227 |

क्रमांक 461- भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इकलीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

| सं.क्र. | ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) |
|---------|--|--------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ग्राम—मोहरवा, पटवारी हल्का—कर्वा, रानि.म.—रामनगर, तहसील—रामनगर | 1/1/क | 5.261 | 0.079 |
| 2 | | 1/1/ख | 0.749 | |
| 3 | | 1/2/क | 0.675 | |
| 4 | | 1/2/ख | 0.081 | |
| | (अ) निजी पट्टे की भूमि का योग— | 4 किता | 6.766 | 0.079 |
| 1 | | 141/1 | 0.650 | 0.001 |
| 2 | | 141/2 | 0.060 | |
| | (ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग— | 2 किता | 0.710 | 0.001 |
| | अ + ब का योग— | कुल 6 किता | 7.476 | 0.080 |

क्रमांक 462-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

| क्रमांक | ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) |
|---------|-----------------------------------|----------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ग्राम-गोविंदपुर, | 110/1 | 0.643 | 0.002 |
| 2 | पटवारी हल्का-35 गोविंदपुर, | 110/2 | 0.202 | |
| 3 | रा.नि.म.-रामनगर, | 25/1/क | 3.742 | |
| 4 | तहसील-रामनगर | 25/1/ख | 2.004 | |
| 5 | | 25/2/क/1 | 0.032 | |
| 6 | | 25/2/क/2 | 0.089 | |
| 7 | | 25/2/ख | 0.121 | |
| 8 | | 25/2/ग/1/1 | 0.055 | |
| 9 | | 25/2/ग/1/2 | 0.052 | |
| 10 | | 25/2/ग/2 | 0.014 | |
| 11 | | 25/2/घ/1 | 0.041 | |
| 12 | | 25/2/घ/2 | 0.040 | |
| 13 | | 25/2/घ/3 | 0.040 | |
| 14 | | 25/2/ड/1 | 0.098 | |
| 15 | | 25/2/ड/2 | 0.023 | |
| 16 | | 25/3/क/1/1/1 | 0.058 | |
| 17 | | 25/3/क/1/1/1/2 | 0.274 | |
| 18 | | 25/3/क/1/1/2 | 0.060 | |
| 19 | | 25/3/क/1/1/3 | 0.568 | |

| | | | | |
|----|----------------------------------|--------------|--------|-------|
| 20 | | 25/3/क/1/1/4 | 0.040 | |
| 21 | | 25/3/क/1/2 | 0.101 | |
| 22 | | 25/3/क/2 | 0.202 | |
| 23 | | 25/3/ख | 0.202 | |
| 24 | | 25/4/1 | 0.202 | |
| 25 | | 25/4/2 | 0.202 | |
| 26 | | 25/4/3 | 0.202 | |
| 27 | | 25/4/4 | 0.202 | |
| 28 | | 44/1 | 0.081 | |
| 29 | | 44/2/क | 0.061 | 0.097 |
| 30 | | 44/2/ख | 0.060 | |
| 31 | | 6/1/क | 0.223 | |
| 32 | | 6/1/ख | 0.222 | |
| 33 | | 6/2/क/1 | 0.040 | |
| 34 | | 6/2/क/2 | 0.041 | 0.001 |
| 35 | | 6/2/ख/1/1 | 0.042 | |
| 36 | | 6/2/ख/1/2 | 0.043 | |
| 37 | | 6/2/ग | 0.080 | |
| 38 | | 6/2/घ | 0.080 | |
| | (अ) निजी पद्धते की भूमि का योग— | 38 किता | 10.482 | 0.109 |
| 1 | | 3/1 | 0.616 | |
| 2 | | 3/2 | 0.012 | 0.004 |
| 3 | | 1/1 | 0.016 | |
| 4 | | 1/2 | 0.048 | 0.003 |
| | (ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग— | 4 किता | 0.692 | 0.007 |
| | अ + ब का योग— | कुल 42 किता | 11.174 | 0.116 |

क्रमांक 463-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

| क्रमांक | ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) |
|---------|---|--------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ग्राम—गौहानी, पटवारी हल्का—35 गोविन्दपुर, रा.नि.म.—रामनगर, तहसील—रामनगर | 30/1/क/1 | 0.288 | 0.036 |
| 2 | | 30/1/क/2/1 | 0.072 | |
| 3 | | 30/1/क/2/2 | 0.072 | |
| 4 | | 30/1/क/2/3 | 0.072 | |
| 5 | | 30/1/क/2/4 | 0.072 | |
| 6 | | 30/1/क/3 | 0.287 | |
| 7 | | 30/1/क/4 | 0.287 | |
| 8 | | 30/1/ख | 0.149 | |
| 9 | | 30/2 | 0.081 | |
| 10 | | 29/1 | 0.385 | 0.013 |
| 11 | | 29/2 | 0.303 | |
| 12 | | 26 | 1.275 | |
| 13 | | 23/1/क/1 | 0.405 | 0.007 |
| 14 | | 23/1/क/2 | 0.070 | |
| 15 | | 23/1/ख/1 | 0.349 | |
| 16 | | 23/1/ख/2 | 0.121 | |
| 17 | | 23/1/ग/1 | 0.190 | |
| 18 | | 23/1/ग/2 | 0.284 | |
| 19 | | 23/2/क | 0.295 | |
| 20 | | 23/2/ख | 0.008 | |

| | | | | |
|----|----------------------------------|-------------|--------|-------|
| 21 | | 22/1/क/1/क | 0.101 | 0.048 |
| 22 | | 22/1/क/1/ख | 0.162 | |
| 23 | | 22/1/क/2 | 0.506 | |
| 24 | | 22/1/ख/1/1 | 0.202 | |
| 25 | | 22/1/ख/1/2 | 0.202 | |
| 26 | | 22/1/ख/1/3 | 0.203 | |
| 27 | | 22/1/ख/2 | 0.162 | |
| 28 | | 22/1/ग/1 | 0.267 | |
| 29 | | 22/1/ग/2 | 0.506 | |
| 30 | | 22/2/क | 0.278 | |
| 31 | | 22/2/ख | 0.277 | |
| 32 | | 22/3 | 0.202 | |
| 33 | | 22/4/क | 0.780 | |
| 34 | | 22/4/ख | 0.287 | |
| 35 | | 16 | 0.178 | 0.005 |
| 36 | | 15 | 2.012 | |
| 37 | | 18/1 | 0.174 | |
| 38 | | 18/2 | 0.174 | |
| 39 | | 18/3 | 0.178 | 0.025 |
| 40 | | 20 | 1.061 | |
| 41 | | 19/1 | 0.607 | |
| 42 | | 19/2/क | 0.405 | |
| 43 | | 19/2/ख | 0.202 | 0.003 |
| 44 | | 84/1/क | 0.417 | |
| 45 | | 84/1/ख | 0.417 | |
| 46 | | 84/2 | 0.416 | |
| | (अ) निजी पट्टे की भूमि का योग— | 46 किता | 15.441 | 0.234 |
| 1 | | 38/1 | 0.040 | 0.002 |
| 2 | | 38/2 | 0.121 | |
| 3 | | 33/1 | 0.105 | |
| 4 | | 33/2 | 0.680 | |
| 5 | | 32 | 0.619 | 0.016 |
| 6 | | 21 | 0.271 | |
| 7 | | 85 | 0.040 | |
| 8 | | 225 | 0.611 | |
| | (ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग— | 8 किता | 2.487 | 0.037 |
| | अ + ब का योग— | कुल 54 किता | 17.928 | 0.271 |

क्रमांक 464-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इककीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

| क्रमांक | ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) |
|---------|--|--------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ग्राम-मझगँवा, पटवारी हल्का-36 नारायणपुर, रा.नि.म.-रामनगर, तहसील-रामनगर | 82/1 | 0.259 | 0.007 |
| 2 | | 82/2/क | 0.101 | |
| 3 | | 82/2/ख | 0.101 | |
| 4 | | 64/1 | 2.412 | |
| 5 | | 64/2/क | 0.505 | |
| 6 | | 64/2/ख | 0.506 | |
| 7 | | 64/3/क | 1.157 | |
| 8 | | 64/3/ख | 0.462 | |
| 9 | | 64/4 | 0.024 | |
| 10 | | 64/5 | 2.023 | |
| 11 | | 64/6 | 0.405 | |
| 12 | | 65/1 | 0.202 | 0.010 |
| 13 | | 65/2 | 0.198 | |
| 14 | | 65/3/क | 0.081 | |
| 15 | | 65/3/ख | 0.117 | |
| 16 | | 65/4 | 0.202 | |
| 17 | | 65/5 | 0.198 | 0.018 |
| 18 | | 81/1 | 0.129 | |
| 19 | | 81/2/क | 0.133 | |
| 20 | | 81/2/ख | 0.139 | |
| 21 | | 81/2/ग | 0.133 | |

| | | | | |
|----|----------------------------------|--------------|--------|-------|
| 2 | | 81/3/क्र | 0.064 | |
| 23 | | 81/3/क/1 | 0.222 | |
| 24 | | 81/3/क/1/ख | 0.056 | |
| 25 | | 81/3/क/2 | 0.218 | |
| 26 | | 81/3/क/3/1/ख | 0.056 | |
| 27 | | 81/3/क/3/2 | 0.113 | |
| 28 | | 81/3/ख | 0.348 | |
| 29 | | 81/3/घ | 0.348 | |
| 30 | | 78/1 | 0.182 | |
| 31 | | 78/2/1 | 0.091 | 0.022 |
| 32 | | 78/2/2 | 0.091 | |
| 33 | | 77/1 | 0.081 | |
| 34 | | 77/2 | 0.085 | |
| 35 | | 77/3 | 0.081 | 0.001 |
| 36 | | 77/4 | 0.081 | |
| 37 | | 77/5 | 0.081 | |
| 38 | | 74/1 | 0.180 | |
| 39 | | 74/2/1 | 0.091 | 0.012 |
| 40 | | 74/2/2 | 0.091 | |
| 41 | | 73/1 | 0.182 | |
| 42 | | 73/2/1 | 0.091 | 0.008 |
| 43 | | 73/2/2 | 0.091 | |
| 44 | | 72/1 | 0.069 | |
| 45 | | 72/2 | 0.069 | |
| 46 | | 72/3 | 0.068 | 0.008 |
| 47 | | 72/4 | 0.069 | |
| 48 | | 72/5 | 0.069 | |
| 49 | | 33/1 | 0.672 | |
| 50 | | 33/2 | 0.672 | |
| 51 | | 33/3/क | 0.112 | |
| 52 | | 33/3/ख | 0.112 | |
| 53 | | 33/3/ग | 0.112 | 0.038 |
| 54 | | 33/3/घ | 0.112 | |
| 55 | | 33/3/ड | 0.112 | |
| 56 | | 33/3/च | 0.112 | |
| 57 | | 33/4 | 0.672 | |
| 58 | | 14/1/2 | 0.338 | |
| 59 | | 14/2/ख | 0.316 | |
| 60 | | 14/2/ग | 0.316 | 0.011 |
| 61 | | 14/3 | 0.688 | |
| 62 | | 13/1/2 | 0.203 | |
| 63 | | 13/2/ख | 0.135 | |
| 64 | | 13/2/ग | 0.152 | 0.031 |
| 65 | | 13/3 | 0.405 | |
| 66 | | 12 | 0.388 | 0.011 |
| | (अ) निजी पट्टे की भूमि का योग— | 66 किता | 18.984 | 0.183 |
| | | 79 | 0.097 | 0.004 |
| 1 | | 32 | 0.223 | 0.003 |
| | (ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग— | 2 किता | 0.320 | 0.007 |
| | अ + ब का योग— | कुल 68 किता | 19.304 | 0.190 |

क्रमांक 465-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इकीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (सा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

| क्रमांक | ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) |
|---------|-----------------------------------|--------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ग्राम-नारायणपुर, | 22 | 0.045 | 0.003 |
| 2 | पटवारी हल्का-36 नारायणपुर, | 23/1/क | 0.200 | |
| 3 | रा.नि.म.-रामनगर, | 23/1/ख | 0.024 | |
| 4 | तहसील-रामनगर | 23/2/क | 0.081 | |
| 5 | | 23/2/ख | 0.081 | |
| 6 | | 23/2/ग | 0.142 | |
| 7 | | 23/3 | 1.214 | |
| 8 | | 30/1 | 0.979 | 0.019 |
| 9 | | 30/2 | 0.121 | |
| 10 | | 33 | 0.849 | 0.011 |
| 11 | | 32/1/क | 0.056 | |
| 12 | | 32/1/ख | 0.849 | 0.008 |
| 13 | | 32/2 | 0.045 | |
| 14 | | 38/1 | 0.349 | 0.025 |
| 15 | | 38/2 | 0.468 | |
| 16 | | 40/1 | 0.559 | 0.011 |
| 17 | | 40/2 | 0.049 | |
| 18 | | 41/1/क | 0.631 | |
| 19 | | 41/1/ख | 0.214 | 0.037 |
| 20 | | 41/2 | 0.635 | |
| 21 | | 41/3 | 0.036 | |
| 22 | | 46/321/1 | 0.906 | 0.001 |

| | | | | |
|----|----------------------------------|-------------|--------|-------|
| 23 | | 46/321/2 | 0.910 | |
| | (अ) निजी पट्टे की भूमि का योग— | 23 किता | 9.443 | 0.127 |
| 1 | | 46/323/1 | 0.146 | 0.010 |
| 2 | | 46/323/2 | 0.154 | |
| 3 | | 47 | 1.108 | 0.009 |
| 4 | | 48 | 0.761 | 0.012 |
| | (ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग— | 4 किता | 2.169 | 0.031 |
| | अ + ब का योग— | कुल 27 किता | 11.612 | 0.158 |

क्रमांक 466-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इककीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

| क्रमांक | ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) |
|---------|-----------------------------------|--------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ग्राम-अराजी हटवा, | 68/1 | 0.174 | 0.006 |
| 2 | पटवारी हल्का-36 | 68/2 | 0.174 | |
| 3 | नारायणपुर, | 69/1 | 0.445 | |
| 4 | रा.नि.म.-रामनगर, | 69/2 | 0.113 | |
| 5 | तहसील-रामनगर | 69/3 | 0.077 | 0.014 |
| 6 | | 69/4 | 0.073 | |
| 7 | | 69/5 | 0.073 | |
| 8 | | 70 | 0.409 | 0.010 |
| 9 | | 72 | 0.652 | 0.024 |
| 10 | | 74 | 0.567 | 0.006 |
| 11 | | 73/1 | 0.368 | 0.015 |
| 12 | | 73/2 | 0.006 | |
| | (अ) निजी पट्टे की भूमि का योग— | 12 किता | 3.131 | 0.075 |
| 1 | | 79 | 0.405 | 0.003 |
| | (ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग— | 1 किता | 0.405 | 0.003 |
| | अ + ब का योग— | कुल 13 किता | 3.536 | 0.078 |

क्रमांक 467-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इककीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

| अनुक्रमांक | ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) |
|------------|--|--------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ग्राम—शहपुरा, पटवारी हल्का पदमी, रा.नि.म. रामनगर, तहसील—रामनगर | 31/1 | 0.073 | 0.002 |
| 2 | | 31/2 | 0.073 | |
| 3 | | 7/1 | 0.447 | 0.017 |
| 4 | | 7/2 | 0.447 | |
| 5 | | 8 | 0.077 | 0.003 |
| 6 | | 9 | 0.826 | 0.017 |
| 7 | | 10 | 0.105 | 0.003 |
| 8 | | 18 | 0.784 | 0.016 |
| 9 | | 17/1 | 0.032 | 0.001 |
| 10 | | 17/2 | 0.033 | |
| 11 | | 52 | 0.340 | |
| 12 | | 15/1 | 0.158 | 0.017 |
| 13 | | 15/2 | 0.405 | |
| 14 | | 53 | 0.129 | 0.002 |
| 15 | | 54 | 0.555 | 0.013 |
| | (अ) निजी पट्टे की भूमि का योग— | 15 किता | 4.484 | 0.098 |
| 1 | (ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग— | 33 | 0.336 | 0.004 |
| | | 1 किता | 0.336 | 0.004 |
| | अ + ब का योग— | कुल 16 किता | 4.820 | 0.102 |

क्रमांक 468-भूजन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इककीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

| क्रमांक | ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) |
|---------|--|--------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ग्राम-सगौनी कलाँ, पटवारी हल्का-39 सगौनी खुद, रा.नि.म.-रामनगर, तहसील-रामनगर | 147/1 | 0.331 | 0.001 |
| 2 | | 147/2 | 0.235 | |
| 3 | | 147/2/1 | 0.118 | |
| 4 | | 147/2/2 | 0.117 | |
| 5 | | 147/3 | 0.235 | |
| 6 | | 148/1 | 0.236 | 0.015 |
| 7 | | 148/2 | 0.233 | |
| 8 | | 148/2/1 | 0.116 | |
| 9 | | 148/2/2 | 0.117 | |
| 10 | | 151 | 0.283 | 0.008 |
| 11 | | 153 | 0.235 | 0.009 |
| 12 | | 158 | 0.567 | 0.007 |
| 13 | | 159/1 | 0.579 | 0.016 |

| | | | | |
|----|---------------------------------|-------------|--------|-------|
| 14 | | 159/2 | 0.162 | 0.016 |
| 15 | | 166 | 0.348 | 0.004 |
| 16 | | 171/1 | 0.644 | |
| 17 | | 171/2 | 0.660 | 0.015 |
| 18 | | 172 | 0.547 | 0.007 |
| 19 | | 173 | 0.955 | 0.012 |
| 20 | | 176 | 0.696 | 0.018 |
| 21 | | 178 | 1.158 | 0.021 |
| 22 | | 197/1 | 0.749 | |
| 23 | | 197/2 | 0.834 | |
| 24 | | 197/2/क | 0.181 | 0.006 |
| 25 | | 197/2/ख | 0.000 | |
| 26 | | 1 | 0.088 | 0.022 |
| 27 | | 185/1/क | 0.341 | |
| 28 | | 185/1/ख/1 | 0.309 | |
| 29 | | 185/1/ख/2 | 0.309 | 0.003 |
| 30 | | 185/1/ग | 0.263 | |
| 31 | | 185/1/घ | 0.263 | |
| 32 | | 185/2 | 0.202 | |
| 33 | | 186/1 | 0.038 | |
| 34 | | 186/2 | 0.039 | 0.002 |
| | (अ) निजी पट्टे की भूमि का योग— | 34 किता | 12.188 | 0.166 |
| | (ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग— | 0 किता | 0.000 | 0.000 |
| | अ + ब का योग— | कुल 34 किता | 12.188 | 0.166 |

क्रमांक 469-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इककीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

| अनुक्रमांक | ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) |
|------------|---|----------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ग्राम-सगौनी खुर्द, पटवारी हल्का 39 सगौनी खुर्द, रा.नि.म. रामनगर, तहसील-रामनगर | 212 | 0.049 | 0.002 |
| 2 | | 211/1 | 0.101 | 0.001 |
| 3 | | 211/2/क | 0.053 | |
| 4 | | 211/2/ख | 0.048 | |
| 5 | | 216/1 | 0.045 | 0.003 |
| 6 | | 216/2 | 0.045 | |
| 7 | | 229/1 | 0.161 | 0.010 |
| 8 | | 229/2 | 0.053 | |
| 9 | | 230 | 0.255 | 0.009 |
| 10 | | 231/1 | 0.210 | 0.010 |
| 11 | | 231/2 | 0.426 | |
| 12 | | 232 | 0.045 | 0.001 |
| 13 | | 233 | 0.045 | 0.002 |
| 14 | | 224 | 0.036 | 0.004 |
| 15 | | 225 | 0.376 | 0.001 |
| 16 | | 223 | 0.040 | 0.008 |
| 1 | (अ) निजी पद्धते की भूमि का योग- | 16 किलो 234 | 1.988 0.081 | 0.051 0.003 |
| | (ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग- | 1 किलो | 0.081 | 0.003 |
| | अ + ब का योग- | कुल 17 किलो | 2.069 | 0.054 |

क्रमांक 470-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इककीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

| क्रमांक | ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) |
|---------|--|--------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ग्राम-हिनौता, पटवारी हल्का-जिगना, रा.नि.म. झिन्ना, तहसील-रामनगर | 497 | 0.789 | 0.011 |
| | (अ) निजी पद्टे की भूमि का योग- | 1 किता | 0.789 | 0.011 |
| | (ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग- | 0 किता | 0.000 | 0.000 |
| | <u>अ + ब</u> का योग- | कुल 1 किता | 0.789 | 0.011 |

क्रमांक 471-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इककीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

| अनुक्रमांक | ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) |
|------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | अमिलिया, पटवारी हल्का 37 पदमी, | 153 | 0.053 | 0.003 |
| 2 | रा.नि.म. रामनगर, | 154/1 | 0.823 | 0.010 |
| 3 | तहसील-रामनगर | 154/2 | 0.568 | |
| 4 | | 108 | 0.109 | 0.002 |
| 5 | | 107 | 0.198 | 0.005 |
| 6 | | 106 | 0.926 | 0.028 |
| 7 | | 105 | 0.061 | 0.002 |
| 8 | | 103/1 | 0.579 | |
| 9 | | 103/2/क | 0.243 | 0.018 |
| 10 | | 103/2/ख | 0.113 | |
| 11 | | 36 | 0.421 | 0.006 |
| 12 | | 37 | 0.328 | 0.009 |
| 13 | | 52 | 0.396 | 0.004 |
| 14 | | 51 | 0.481 | 0.009 |
| 15 | | 50 | 0.481 | 0.010 |
| 16 | | 49 | 0.243 | 0.007 |
| 17 | | 47 | 0.081 | 0.001 |
| 18 | | 48 | 0.444 | 0.017 |
| 19 | | 43 | 0.158 | 0.003 |
| 20 | | 60 | 1.081 | 0.002 |
| 21 | | 61 | 1.033 | 0.021 |
| 22 | (अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- | 64/1 | 0.582 | 0.016 |
| 23 | | 64/2 | 0.578 | |
| | | 23 किता | 9.980 | 0.173 |

| | | | | |
|---|----------------------------------|-------------|--------|-------|
| 1 | | 160 | 0.089 | 0.004 |
| 2 | | 152 | 0.146 | 0.007 |
| 3 | | 151 | 0.057 | 0.001 |
| 4 | | 109 | 0.206 | 0.002 |
| 5 | | 101 | 0.081 | 0.002 |
| 6 | | 53/287 | 0.101 | 0.004 |
| 7 | | 38 | 0.229 | 0.005 |
| | (ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग- | 7 किता | 0.909 | 0.025 |
| | आ + ब का योग- | कुल 30 किता | 10.889 | 0.198 |

क्रमांक 472-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इककीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

| क्रमांक | ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) |
|---------|---|--------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ग्राम-चिरहाई, पटवारी हल्का-41 चिरहाई, रा.नि.म.-झिन्ना, तहसील-रामनगर | 943 | 0.283 | 0.006 |
| 2 | | 947 | 0.571 | 0.006 |
| 3 | | 952 | 0.332 | 0.006 |
| 4 | | 951 | 0.352 | 0.007 |
| 5 | | 950 | 0.336 | 0.007 |
| 6 | | 884 | 0.510 | 0.008 |
| 7 | | 966 | 0.397 | 0.011 |
| 8 | | 850/1/क | 0.148 | |
| 9 | | 850/1/ख | 0.596 | 0.005 |
| 10 | | 850/1/ग | 0.012 | |

| | | | | |
|----------------------------------|--|-------------|--------|-------|
| 11 | | 850/2 | 0.809 | |
| 12 | | 849 | 0.629 | 0.007 |
| 13 | | 848 | 0.158 | 0.005 |
| 14 | | 845 | 0.291 | 0.006 |
| 15 | | 847/1 | 0.767 | |
| 16 | | 847/2 | 0.656 | 0.022 |
| 17 | | 847/3 | 0.069 | |
| 18 | | 833/1 | 0.766 | |
| 19 | | 833/2 | 0.152 | 0.016 |
| 20 | | 833/3 | 0.101 | |
| 21 | | 833/4 | 0.101 | |
| 22 | | 806/1 | 0.931 | |
| 23 | | 806/2 | 0.466 | 0.002 |
| 24 | | 806/3 | 0.466 | |
| 25. | | 816 | 0.186 | 0.007 |
| 26 | | 813 | 0.368 | 0.008 |
| 27 | | 812/1 | 0.117 | |
| 28 | | 812/2 | 0.114 | 0.006 |
| 29 | | 796/1 | 0.174 | |
| 30 | | 796/2 | 0.239 | 0.007 |
| 31 | | 796/3 | 0.206 | |
| 32 | | 789/1 | 0.183 | |
| 33 | | 789/2 | 0.182 | 0.015 |
| 34 | | 789/3 | 0.178 | |
| 35 | | 611/1 | 0.166 | |
| 36 | | 611/2 | 0.166 | 0.012 |
| 37 | | 611/3 | 0.166 | |
| 38 | | 611/4 | 0.166 | |
| 39 | | 616 | 0.478 | 0.009 |
| 40 | | 617/1 | 0.251 | |
| 41 | | 617/2 | 0.251 | 0.001 |
| 42 | | 615/1 | 0.227 | |
| 43 | | 615/2 | 0.101 | |
| 44 | | 615/3/क | 0.304 | 0.031 |
| 45 | | 615/3/ख | 0.538 | |
| 46 | | 615/3/ग | 0.506 | |
| 47 | | 634/1 | 0.652 | 0.032 |
| 48 | | 634/2 | 0.303 | |
| 49 | | 647/1 | 0.097 | |
| 50 | | 647/2 | 0.049 | 0.002 |
| 51 | | 647/3 | 0.052 | |
| 52 | | 657 | 0.769 | 0.017 |
| 53 | | 656 | 0.291 | 0.008 |
| 54 | | 655 | 0.138 | 0.001 |
| 55 | | 664 | 2.007 | 0.029 |
| 56 | | 668 | 6.325 | 0.046 |
| 57 | | 690 | 0.206 | 0.004 |
| 58 | | 692 | 1.611 | 0.020 |
| (अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- | | 58 किता | 27.666 | 0.369 |
| 1 | | 944/1 | 0.568 | 0.020 |
| 2 | | 944/2 | 0.568 | |
| 3 | | 815 | 0.348 | 0.006 |
| 4 | | 814 | 0.534 | 0.006 |
| 5 | | 797 | 0.198 | 0.003 |
| (ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग- | | 5 किता | 2.216 | 0.035 |
| अ + ब का योग- | | कुल 63 किता | 29.882 | 0.404 |

क्रमांक 473-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इककीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

| अनुक्रमांक | ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) |
|------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ग्राम-अरगट, पटवारी हल्का-43 अरगट, | 330 | 0.510 | 0.009 |
| 2 | रा.नि.म.-झिन्ना, | 329 | 1.365 | 0.004 |
| 3 | तहसील-रामनगर | 331 | 0.522 | 0.009 |
| 4 | | 332 | 0.105 | 0.002 |
| 5 | | 332/2 | 0.008 | |
| 6 | | 630/1 | 0.478 | 0.008 |
| 7 | | 630/2 | 0.121 | |
| 8 | | 625 | 0.405 | 0.003 |
| 9 | | 624 शा.नं. 630 में | 0.872 | 0.005 |
| 10 | | 623 | 2.112 | 0.022 |
| 11 | | 683 | 0.328 | 0.008 |
| 12 | | 684 | 0.615 | 0.014 |
| 13 | | 685 | 0.097 | 0.001 |
| 14 | | 704 | 0.097 | 0.002 |
| 15 | | 703 | 0.316 | 0.003 |
| 16 | | 705/1 | 0.061 | 0.006 |
| 17 | | 705/2 | 0.060 | |
| 18 | | 706/1 | 0.026 | 0.001 |
| 19 | | 706/2 | 0.027 | |
| 20 | | 707/1 | 0.040 | 0.002 |
| 21 | | 707/2 | 0.032 | |

| | | | | |
|----|----------------------|---------|-------|-------|
| 22 | | 726 | 1.125 | 0.013 |
| 23 | | 727 | 0.214 | 0.004 |
| 24 | | 729 | 0.073 | 0.003 |
| 25 | | 730/1 | 0.028 | 0.005 |
| 26 | | 730/2 | 0.162 | |
| 27 | | 557/1 | 0.032 | 0.003 |
| 28 | | 557/2 | 0.081 | |
| 29 | | 557/3 | 0.099 | |
| 30 | | 557/4 | 0.121 | 0.002 |
| 31 | | 558/1 | 0.012 | |
| 32 | | 558/2 | 0.049 | |
| 33 | | 558/3 | 0.012 | 0.005 |
| 34 | | 539/1/1 | 0.105 | |
| 35 | | 539/1/2 | 0.104 | |
| 36 | | 539/1/3 | 0.105 | |
| 37 | | 539/2/1 | 0.104 | |
| 38 | | 539/2/2 | 0.105 | 0.005 |
| 39 | | 539/2/3 | 0.105 | |
| 40 | | 539/3/1 | 0.002 | |
| 41 | | 539/3/2 | 0.003 | |
| 42 | | 539/3/3 | 0.003 | |
| 43 | | 537/1/1 | 0.080 | 0.006 |
| 44 | | 537/1/2 | 0.080 | |
| 45 | | 537/1/3 | 0.080 | |
| 46 | | 537/2/1 | 0.082 | |
| 47 | | 537/2/2 | 0.082 | |
| 48 | | 537/2/3 | 0.082 | 0.005 |
| 49 | | 536/1 | 0.120 | |
| 50 | | 536/2 | 0.120 | |
| 51 | | 536/3 | 0.120 | 0.008 |
| 52 | | 534/1/क | 0.134 | |
| 53 | | 534/1/ख | 0.129 | |
| 54 | | 534/2 | 0.129 | 0.003 |
| 55 | | 541/1/क | 0.193 | |
| 56 | | 541/1/ख | 0.199 | |
| 57 | | 541/2/1 | 0.189 | |
| 58 | | 541/2/2 | 0.202 | |
| 59 | | 533 | 0.263 | 0.006 |
| 60 | | 532 | 0.162 | 0.003 |
| 61 | | 530 | 0.174 | 0.003 |
| 62 | | 529 | 0.219 | 0.004 |
| 63 | 520/1 शा.नं. 519 में | | 0.587 | 0.017 |
| 64 | 520/2 शा.नं. 519 में | | | |
| 65 | 519/1 | 0.643 | 0.001 | |
| 66 | 519/2 | 0.644 | | |
| 67 | 523/1/1 | 0.072 | 0.002 | |
| 68 | 523/1/2 | 0.069 | | |

| | | | | |
|----|----------------------------------|-------------|--------|-------|
| 69 | | 523/2/1 | 0.023 | |
| 70 | | 523/2/2 | 0.022 | |
| 71 | | 523/3/1 | 0.024 | |
| 72 | | 523/3/2 | 0.020 | |
| 73 | | 523/3/3 | 0.020 | |
| | (अ) निजी पट्टे की भूमि का योग— | 73 किता | 15.804 | 0.192 |
| | (ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग— | 0 किता | 0.000 | 0.000 |
| | अ + ब का योग— | कुल 73 किता | 15.804 | 0.192 |

क्रमांक 474-भूजन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इककीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

| सं.क्र. | ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) |
|---------|---|--------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | मतहा, पटवारी हल्का जुङमानी, रा.नि.म. झिन्ना, तहसील-रामनगर | 112/1/क/1 | 0.061 | |
| 2 | | 112/1/क/2 | 0.060 | |
| 3 | | 112/1/ख | 0.063 | |
| 4 | | 112/1/ग/1 | 0.064 | 0.005 |
| 5 | | 112/1/ग/2 | 0.073 | |
| 6 | | 112/2 | 0.065 | |
| 7 | | 111 | 0.263 | 0.007 |
| 8 | | 110/1/क | 0.284 | |
| 9 | | 110/1/ख | 0.292 | 0.007 |

| | | | | |
|----|----------------------------------|-------------|-------|-------|
| 10 | 110/2 | 0.310 | | |
| 11 | 10/1 | 0.214 | | |
| 12 | 10/2 | 0.215 | 0.009 | |
| 13 | 12/1 | 0.028 | | |
| 14 | 12/2 | 0.028 | 0.001 | |
| 15 | 16 | 0.227 | 0.006 | |
| 16 | 14 | 0.045 | 0.001 | |
| 17 | 15 | 0.045 | 0.001 | |
| 18 | 26 | 0.352 | 0.001 | |
| 19 | 25 | 0.279 | 0.011 | |
| 20 | 24 | 0.085 | 0.002 | |
| 21 | 52/1 | 0.445 | | 0.005 |
| 22 | 52/2 | 0.028 | | |
| 23 | 53/1 | 0.526 | | |
| 24 | 53/2 | 0.081 | 0.009 | |
| 25 | 53/3 | 0.098 | | |
| 26 | 54/1/क | 0.057 | | |
| 27 | 54/1/ख | 0.016 | | |
| 28 | 54/1/ग | 0.061 | | |
| 29 | 54/1/घ | 0.040 | | |
| 30 | 54/1/ङ | 0.032 | | |
| 31 | 54/1/च | 0.012 | | |
| 32 | 54/1/छ | 0.12 | | |
| 33 | 54/2 | 0.255 | | |
| 34 | 54/2/घ | 0.012 | | |
| 35 | 54/2/ज | 0.012 | | |
| | (अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- | 35 किता | 4.848 | 0.067 |
| 1 | | 70 | 2.112 | 0.004 |
| | (ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग- | 1 किता | 2.112 | 0.004 |
| | अ + ब का योग- | कुल 36 किता | 6.960 | 0.071 |

क्रमांक 475-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

| क्रमांक | ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) |
|----------------------------------|---|--------------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ग्राम-हिनौता खुर्द, पटवारी हल्का-94 जोवा, रा.नि.म.-भदनपुर उ.प, तहसील-मैहर | 339/326/1/1 | 0.480 | 0.035 |
| 2 | | 339/326/1/2 | 0.659 | |
| 3 | | 339/326/2/क | 0.293 | |
| 4 | | 339/326/2/ख | 0.836 | |
| 5 | | 328/1 | 0.300 | |
| 6 | | 328/2 | 0.661 | |
| (अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- | | 6 किता | 2.929 | 0.043 |
| 1 | | 338 | 1.369 | 0.006 |
| 2 | | 318/1 | 0.752 | 0.024 |
| 3 | | 318/2 | 0.753 | |
| 4 | | 327/1 | 0.180 | 0.003 |
| 5 | | 327/2 | 0.301 | |
| 6 | | 331/1 | 0.397 | 0.010 |
| 7 | | 331/2 | 0.209 | |
| 8 | | 332 | 1.338 | |
| 9 | | 333 | 1.400 | |
| (ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग- | | 9 किता | 6.699 | 0.091 |
| | अ + ब का योग- | कुल 15 किता | 9.628 | 0.134 |

क्रमांक 476-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इककीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

| क्रमांक | ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) |
|---------|-----------------------------------|--------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ग्राम-बराखुर्द, | 686 | 1.223 | 0.014 |
| 2 | पटवारी हल्का-93 बराखुर्द, | 286 | 0.700 | 0.009 |
| 3 | रा.नि.म.-मदनपुर उ.प. | 685/1 | 0.596 | |
| 4 | तहसील-मैहर | 685/2/क | 0.115 | 0.009 |
| 5 | | 685/2/ख | 0.125 | |
| 6 | | 292 | 0.805 | 0.001 |
| 7 | | 683 | 0.355 | 0.014 |
| 8 | | 681 | 2.080 | 0.018 |
| 9 | | 676/1 | 1.824 | |
| 10 | | 676/2 | 1.510 | 0.014 |
| 11 | | 676/3 | 0.030 | |
| 12 | | 679/1 | 0.068 | |
| 13 | | 679/2 | 0.068 | 0.003 |
| 14 | | 678/1 | 1.792 | |
| 15 | | 678/2/1 | 1.000 | 0.027 |
| 16 | | 678/2/2 | 0.793 | |
| 17 | | 668/1 | 0.063 | |
| 18 | | 668/2 | 0.073 | 0.001 |
| 19 | | 669/1 | 0.784 | |
| 20 | 324 | 669/2 | 0.794 | 0.020 |

| | | | | |
|----|----------------------------------|-------------|--------|-------|
| 21 | | 666/1 | 0.497 | 0.035 |
| 22 | | 666/1/ख | 0.470 | |
| 23 | | 666/1/ग | 0.470 | |
| 24 | | 666/2 | 1.437 | |
| | (अ) निजी पट्टे की भूमि का योग— | 24 किता | 13.422 | 0.165 |
| 1 | | 660 | 0.157 | 0.005 |
| | (ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग— | 1 किता | 0.157 | 0.005 |
| | अ + ब का योग— | कुल 25 किता | 13.579 | 0.170 |

क्रमांक 477-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-रामनगर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

| क्रमांक | ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) |
|---------|-----------------------------------|--------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ग्राम-बरकुला, | 490 | 2.518 | 0.035 |
| 2 | पटवारी हल्का-94 जोवा, | 489 | 0.763 | 0.015 |
| 3 | रा.नि.म.-भदनपुर उ.प, | 487 | 0.428 | 0.002 |
| 4 | तहसील-मैहर | 488/1 | 0.285 | |
| 5 | | 488/2 | 0.286 | 0.004 |
| 6 | | 488/3 | 0.286 | |
| 7 | | 484/1 | 0.491 | 0.024 |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------|--------|-------|--|
| 8 | | 484/2 | 0.491 | 0.024 | |
| 9 | | 483/1 | 0.933 | | |
| 10 | | 483/2 | 0.405 | 0.010 | |
| 11 | | 446/1/क | 0.688 | | |
| 12 | | 446/1/ख | 0.221 | 0.009 | |
| 13 | | 446/2 | 0.920 | | |
| 14 | | 477 | 0.073 | 0.005 | |
| 15 | | 478 | 0.303 | 0.004 | |
| 16 | | 476/1 | 0.466 | | |
| 17 | | 476/2 | 0.467 | 0.020 | |
| 18 | | 476/3 | 0.467 | | |
| 19 | | 475 | 0.481 | 0.008 | |
| 20 | | 474 | 0.502 | 0.010 | |
| 21 | | 472 | 0.293 | 0.015 | |
| 22 | | 467/1/1 | 0.645 | | |
| 23 | | 467/1/2 | 0.160 | | |
| 24 | | 467/2 | 0.804 | 0.054 | |
| 25 | | 467/3 | 0.805 | | |
| 26 | | 465 | 0.125 | 0.005 | |
| 27 | | 462/1/क | 0.433 | | |
| 28 | | 462/1/ख | 0.434 | 0.018 | |
| 29 | | 462/2/1 | 0.434 | | |
| 30 | | 462/2/2 | 0.434 | | |
| (अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- | | 30 किता | 16.041 | 0.238 | |
| 1 | | 492 | 0.523 | 0.006 | |
| 2 | | 368 | 1.651 | 0.006 | |
| 3 | | 469 | 1.097 | 0.004 | |
| (ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग- | | 3 किता | 3.271 | 0.016 | |
| अ + ब का योग- | | कुल 33 किता | 19.312 | 0.254 | |

क्रमांक 478-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इककीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मैहर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

| अनुक्रमांक | ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) |
|------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | रिवारा, पटवारी हल्का 97 | 891/1 | 0.408 | |
| 2 | | 891/2 | 0.136 | 0.010 |
| 3 | रा.नि.म. भदनपुर उ.प. | 891/3 | 0.136 | |
| 4 | तहसील-मैहर | 894/1/क | 1.348 | |
| 5 | | 894/1/ख | 1.348 | 0.018 |
| 6 | | 894/2 | 0.408 | |
| 7 | | 898/1 | 0.073 | 0.004 |
| 8 | | 899/1 | 0.183 | |
| 9 | | 899/2 | 0.183 | 0.001 |
| 10 | | 897 | 0.178 | 0.010 |
| 11 | | 896/1 | 0.675 | |
| 12 | | 896/2 | 0.261 | 0.005 |
| 13 | | 904/1 | 0.219 | |
| 14 | | 904/2 | 0.272 | 0.007 |
| 15 | | 909/1/क | 0.272 | |
| 16 | | 909/1/ख | 0.272 | 0.015 |
| 17 | | 909/2 | 0.533 | |
| 18 | | 917 | 0.314 | 0.004 |
| 19 | | 916 | 0.532 | 0.008 |
| 20 | | 918/1/क | 0.418 | |
| 21 | | 918/1/ख | 0.178 | 0.009 |
| 22 | | 918/2 | 0.209 | |
| 23 | | 918/3 | 0.554 | |
| 24 | | 918/4 | 0.157 | |
| 25 | | 919/1 | 0.167 | |
| 26 | | 919/2 | 0.637 | 0.010 |
| 27 | | 920 | 0.836 | 0.010 |
| | (अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- | 27 किता | 10.907 | 0.111 |
| 1 | | 926 | 0.115 | 0.006 |
| | (ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग- | 1 किता | 0.115 | 0.006 |
| | अ + ब का योग- | कुल 28 किता | 11.022 | 0.117 |

क्रमांक 479-भू-अर्जन-कार्य-2019

प्रारूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

अतएव राज्य सरकार को भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास तहसील-मैहर, जिला-सतना को लिखित में भेज सकेगा।

अनुसूची

| क्रमांक | ग्राम का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक | खसरा क्रमांक | कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में) | भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में) |
|---------|---|-------------------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ग्राम—गोरईया, पटवारी हल्का—100 गोरईया, | 320/1 | 0.486 | |
| 2 | रा.नि.म.-भदनपुर उ.प., | 320/2/क/1 | 0.882 | |
| 3 | तहसील—मैहर | 320/2/क/2 | 0.081 | 0.008 |
| 4 | | 320/2/ख/1 | 0.884 | |
| 5 | | 320/2/ख/2 | 0.080 | |
| 6 | | 317/1 | 1.209 | |
| 7 | | 317/2 | 0.000 | 0.027 |
| 8 | | 316/1 316/2,317/2 | 0.170 | 0.002 |
| 9 | | 318/1 | 0.729 | |
| 10 | | 318/2/1/1 | 0.203 | |
| 11 | | 318/2/1/2 | 0.202 | |
| 12 | | 318/2/2 | 0.405 | |
| 13 | | 318/3/1 | 0.748 | |
| 14 | | 318/3/2 | 0.061 | 0.006 |
| 15 | | 318/4/1 | 0.684 | |
| 16 | | 318/4/2 | 0.125 | |
| 17 | | 318/5/1 | 0.150 | |
| 18 | | 318/5/2 | 0.170 | |
| 19 | | 318/6 | 0.849 | |
| 20 | | 314 | 0.914 | 0.010 |
| 21 | | 350/1/क/1/क/1 | 0.364 | |
| 22 | | 350/1/क/1/क/2 | 0.810 | 0.041 |

| | | | |
|----|---------------|-------|-------|
| 23 | 350/1/क/1/क/3 | 0.627 | |
| 24 | 350/1/क/1/ख | 0.627 | |
| 25 | 350/1/क/1/ग | 0.021 | |
| 26 | 350/1/क/2/2 | 0.384 | |
| 27 | 350/1/क/3 | 0.745 | |
| 28 | 350/1/ख | 1.214 | |
| 29 | 350/2 | 1.214 | |
| 30 | 344/1 | 0.598 | |
| 31 | 344/2 | 0.009 | 0.001 |
| 32 | 355 | 1.424 | 0.020 |
| 33 | 362 | 0.737 | 0.003 |
| 34 | 361 | 0.587 | 0.006 |
| 35 | 365/1 | 0.592 | |
| 36 | 365/2 | 0.595 | 0.023 |
| 37 | 365/3 | 0.595 | |
| 38 | 364/1 | 0.688 | |
| 39 | 364/2 | 0.688 | 0.001 |
| 40 | 274/1 | 1.194 | |
| 41 | 274/2 | 1.193 | 0.050 |
| 42 | 406/1 | 0.737 | |
| 43 | 406/2 | 0.736 | 0.008 |
| 44 | 273 | | 0.012 |
| 45 | 272/1 273/1 | 0.992 | |
| 46 | 272/2 273/2 | 0.991 | |
| 47 | 272/3/1 273/3 | 0.465 | 0.020 |
| 48 | 272/3/2 273/3 | 0.525 | |
| 49 | 418 | 0.364 | 0.008 |
| 50 | 443/1 | 0.211 | |
| 51 | 443/2 | 0.405 | 0.006 |
| 52 | 442/1 | 0.409 | |
| 53 | 442/2 | 0.449 | 0.009 |
| 54 | 440/1/क | 0.510 | |
| 55 | 440/1/ख | 0.510 | |
| 56 | 440/1/ग | 0.510 | 0.024 |
| 57 | 440/1/घ | 0.510 | |
| 58 | 440/2 | 0.000 | |
| 59 | 434/1 | 1.010 | |
| 60 | 434/2 | 1.010 | |
| 61 | 434/3 | 1.011 | 0.026 |
| 62 | 438/1 | 0.372 | |
| 63 | 438/2 | 0.372 | |
| 64 | 438/3 | 0.372 | 0.001 |
| 65 | 438/4 | 0.368 | |
| 66 | 435/1 | 0.500 | |
| 67 | 435/2 | 0.500 | 0.001 |
| 68 | 435/3 | 0.659 | |
| 69 | 437/1 | 0.359 | |
| 70 | 437/2 | 0.359 | 0.013 |

| | | | | |
|----|------------------------------------|-------------|--------|-------|
| 71 | | 437/3 | 0.359 | |
| 72 | | 437/4 | 0.359 | |
| 73 | | 648/1 | 0.169 | |
| 74 | | 648/2 | 0.174 | |
| 75 | | 648/3 | 0.174 | 0.008 |
| 76 | | 648/4 | 0.174 | |
| 77 | | 650, 651/1 | 0.178 | |
| 78 | | 650/2 651/2 | 2.023 | 0.030 |
| 79 | | Z12 | 1.668 | 0.010 |
| 80 | | Z13 | 3.075 | 0.023 |
| | (अ) निजी पट्टे की भूमि का योग- | 80 किता | 47.507 | 0.397 |
| 1 | | 325 327/1 | 1.477 | 0.004 |
| 2 | | 327/1 | 0.000 | |
| 3 | | 327/2/क | 0.000 | 0.003 |
| 4 | | 327/2/ख | 0.000 | |
| 5 | | 298/1 | 0.000 | |
| 6 | | 298/2 | 0.000 | 0.026 |
| 7 | | 417 | 0.000 | 0.002 |
| 8 | | 756 770,772 | 4.561 | 0.013 |
| 9 | | 654 | 10.603 | 0.026 |
| | (ब) म.प्र. शासन की भूमि का योग- | 9 किता | 16.641 | 0.074 |
| | अ + ब का योग- | कुल 89 किता | 64.148 | 0.471 |

जे. एल. तिवारी, अनुविभागीय अधिकारी (स.) एवं सक्षम प्राधिकारी.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2019

क्र. D-6163-दो-2-28-2017.—श्री चन्द्रशेखर गुप्ता, उप नियंत्रक (लेखा), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 24 से 31 अगस्त 2019 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 अगस्त 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 01 एवं 02 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रशेखर गुप्ता, उप नियंत्रक (लेखा), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री चन्द्रशेखर गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो उप नियंत्रक (लेखा) के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2019

क्र. A-3007-दो-2-63-2017.—श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 03 से 05 अक्टूबर 2019 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 02 अक्टूबर 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 06 से 10 अक्टूबर 2019 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-3011-दो-2-62-2016.—श्री आर. एन. चंद, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 26 अगस्त से 07 सितम्बर 2019 तक तेरह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 08 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. चंद, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. चंद, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-3013-दो-2-32-2014.—श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 30 से 31 अगस्त 2019 तक दो दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 01 से 03 सितम्बर 2019 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-3015-दो-2-26-2010.—श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को दिनांक 11 से 12 अक्टूबर 2019 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 06 से 10 अक्टूबर 2019 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 अक्टूबर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-4323-दो-2-50-2017.—श्री आर. बी. कुमार, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली को दिनांक 11 से 13 सितम्बर 2019 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. कुमार, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. बी. कुमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-6222-दो-2-17-2015.—श्री बी. आर. पाटिल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर को दिनांक 11 से 12 अक्टूबर 2019 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 06 से 10 अक्टूबर 2019 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 अक्टूबर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री बी. आर. पाटिल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर को पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. आर. पाटिल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-6224-दो-3-16-2007.—श्री व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 12 से 27 सितम्बर 2019 तक सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 एवं 29 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. बी. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-6226-दो-2-15-2017.—श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को दिनांक 03 से 13 सितम्बर 2019 तक ग्यारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-6228-दो-2-21-2019.—श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को दिनांक 11 से 12 अक्टूबर 2019 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 06 से 10 अक्टूबर 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 अक्टूबर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री लखनलाल गर्ग, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के
आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.